उत्तराखंड राज्य महिला नीति

2021

(प्रस्तावित ड्राफ्ट - 2)

actionaid
ActionAid Association (India)

उत्तराखंड राज्य महिला नीति

2021

(प्रस्तावित ड्राफ्ट 2)

First Published December, 2022

Some rights reserved

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial-ShareAlike 4.0 International License. Provided they acknowledge the source, users of this content are allowed to remix, tweak, build upon and share for non-commercial purposes under the same original license terms.

actionaid
ActionAid Association (India)
www.actionaidindia.org @actionaidindia
actionaidcomms @company/actionaidindia actionaid_india
Actionaid Association, F-5 (First Floor), Kailash Colony, New Delhi -110048.
+911-11-40640500

विषय सूची

प्रस्तावना v

अध्याय: 1 परिचय **1**

उद्देश्य (Objective), भविष्य निरूपण (Vision) और मार्गदर्शक सिद्धांत (Mission) 1

राज्य की सामाजिक–जनसांख्यिकीय रूपरेखा 2

अध्याय: 2 महिलाओं की स्थिति **4**

भारत में महिलाओं की स्थिति 4

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए योजनाएं एवं अधिनियम 7

राष्ट्रीय सरकार की पहल– उपलब्धियां और चुनौतिया 10

अध्याय: 3 प्रमुख क्षेत्र और नीति निर्देशक **12**

शिक्षा 12

स्वास्थ्य– खाद्य सुरक्षा, पोषण, जीवन रक्षा, चिकित्सा 15

अर्थव्यवस्था– कृषि, वन–सम्पदा, रोजगार, असंगठित क्षेत्र में श्रम एवं संगठनात्मक संपत्ति का स्वामित्व 18

राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णयन, भागीदारी 23

महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध– सुरक्षा, बचाव एवं संरक्षण 24

वातावरण, जलवायु परिवर्तन व अपातकालीन परिस्थितियां 25

अध्याय: 4 उत्तराखंड में एकल महिला **27**

रूपरेखा और परिभाषा 27

उत्तराखंड में एकल महिलाओं की स्थिति 27

एकल महिलाओं से जुड़े मुद्दे 28

समुदाय एवं हितधारकों की बात 28

अध्याय: 5 नीति को लागू करने हेतु परिचालन ढांचा **31**

नीतिगत दृष्टिकोण 31

नीति के क्रियान्वयन की रणनीति 32

नीति को लागू करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था 35

हितधारकों के प्रति जवाबदेही 35

हितधारकों की जवाबदेही 37

जांच और मूल्यांकन 37

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। भारत का संविधान राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) में महिलाओं के लिए पंचायतों और स्थानीय निकायों के सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अधीन राजनीतिक ढांचे, कानून, विकास की नीतियों तथा योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समानता का अधिकार तथा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके उनकी उन्नति को सुनिष्चित करना है। सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा कवच के लिए की गई पहल ने महिलाओं को पहले से अधिक सशक्त किया है। सामाजिक कल्याण, सम्मान तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दों पर हुए विकास से महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव देखा गया है। संसद ने वर्ष 1990 में महिला अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक अधिनियम लाकर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। इस आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा की निगरानी करना तथा उनमें बेहतरी हेतु वांछित सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देना है।

यह एक बड़ा सवाल है कि सूचना एवं तकनीकी के युग में भी महिलाओं को उनके संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाने, उनको लैंगिक भेदभाव की पीड़ा से मुक्ति दिलाने तथा घरेलू हिंसा से सुरक्षा दिलाने के लिए पुरजोर पैरवी की आवश्यकता पड़ रही है। शहरों से लेकर गांवों तक महिलाओं को घर और बाहर, विशेष रूप से आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए, अभी भी नया कानून बनाने या पूर्व के कानून में संशोधनों की जरूरत महसूस की जाती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं तरक्की नहीं कर रही हैं या वह आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से सुदृढ़ नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुसंख्यक महिला आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर अभी भी पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है।

अगर ग्रामीण महिलाओं को कृषि संपदा, शिक्षा और बाजार की उपलब्धता में समान रूप से भागीदारी का अवसर मिले तो दुनियाभर में भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या में 10 से 15 करोड़ तक की कमी लाई जा सकती है।

महिलाओं की कामकाजी व निजी जिंदगी में सुधार लाने के लिए आम तौर पर आवष्यक टेक्नोलॉजी की कमी होती है। जबकि डिजीटल चैनल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और उनके स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं के लिए इस प्रकार की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। कृषि के लिए केवल एक चौथाई महिलाओं की ही डिजीटल तकनीक अथवा समाधान तक पहुंच है। इस संकट से बहुसंख्यक महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, खास तौर से वे महिलाएं जो पहले से ही लिंग, नस्ल और जातीय भेदभाव का सामना कर रही हैं। महिलाओं को रोजमर्रा की जिन्दगी में ढेर सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनसे उन्हें कोई वित्तीय या आर्थिक फायदा नहीं होता है। इससे एक तो उनकी गरीबी बढ़ती जाती है और आमदनी वाले काम–काज को लेकर असुरक्षा भी बढ़ती जाती है तथा दूसरा सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।'

उत्तराखंड राज्य महिलाओं को भूमि के सह–स्वामी के तौर पर सुनिश्चित करके कानून बनाने वाला दो का पहला राज्य है। इस महिला सशक्तिकरण कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू राज्य और अन्य हितधारकों को जिम्मेदार बनाना है जिसकी मदद से महिलाओं को सभी कानूनों और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करके उन्हें सक्षम बनाया जा सके। राज्य को महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों की योजना बनाते समय विविध स्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

महिलाओं से जुड़े विषयों से संबंधित विभागों, उपक्रमों, संस्थानों आदि में परस्पर उद्देश्यपूर्ण समन्वय आवश्यक है, तभी उनके लिए तैयार नीतियों को अमल में लाया जा सकता है। नीतियों को लागू करने के लिए विभागों के पास बजट का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जाए, इस संदर्भ में राज्य को जेंडर बजटिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित आंकड़ों को संकलित करके सार्वजनिक करना आवश्यक है। इसके साथ ही राज्य को महिलाओं के सशक्तिकरण संबंध

ी मुद्दे को आगे बढ़ाने की दिशा में महिलाओं के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है। समाज में पितृसत्तात्मक संरचनाओं को तोड़ने में पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं में पुरुशों को भागीदार बनाने के लिए एक सशक्त एवं पारदर्शी तंत्र की स्थापना आवश्यक है, जो निकायों के वार्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय व्यवस्थाओं के बीच समन्वय बनाकर रखे। इससे ज्यादा से ज्यादा निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

प्रस्तुत महिला नीति उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विभिन्न क्षंत्रों में महिलाओं के समग्र विकास हेतु विस्तृत नीतिगत दस्तावेज जारी करने के लिए मार्गदर्शन करती है। इसी के साथ ही यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में एकल महिलाओं के लिये एक सक्षम और सुरक्षात्मक वातावरण बनाने पर भी बल देती है।

अध्याय : 1

परिचय

भारत का संविधान लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के समावेशी विकास हेतु सकारात्मक कार्यो को करने के लिये राज्यों को सशक्त बनाता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी की समानता और कानूनों के समान संरक्षण के सामान्य सिद्धांतों का प्रतीक है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, विशेषकर अनुच्छेद 16 (2) में किसी भी रोजगार या कार्यालय में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किए जाने के सन्दर्भ में बताया गया है।

अनुच्छेद 39 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के तहत देष में पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों को हासिल करने का अधिकार है (अनुच्छेद 39 (ए)), और पुरुषों महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार (अनुच्छेद 39 (डी),) है। डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 42 राज्य को न्याय और काम की मानवीय स्थिति एवं मातृत्व/प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 243 डी (3) अनुच्छेद 243 टी (3), महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बारी–बारी से आवंटित की जाने वाली पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम आरक्षण के प्रावधान के बारे में बताती है। अनुच्छेद 243 डी (4) टी (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के कुल अधिकारियों की कुल संख्या का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।

उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का न्यायसंगत दृष्टिकोण एवं दूरदर्शिता की भावना के आधार पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने उत्तराखंड राज्य महिला नीति, 2021 का मसौदा तैयार करने का कार्य किया है।

विजन

उत्तराखण्ड को एक ऐसे राज्य की ओर अग्रसर करना जहां लड़कियां एवं महिलाएं न केवल जीवन जीने में सक्षम हों, अपितु सम्मान के साथ एक गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करें, जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हे समान अवसर प्राप्त हों और विकास की दिशा में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो।

मिशन

महिलाओं पर केंद्रित नीतियों की एक ऐसी क्रियाशील संरचना को स्थापित करना जिससे उनके लिए जीवन को पूर्ण क्षमताओं के साथ विकसित करने हेतु सशक्त और सक्षम वातावरण का निर्माण हो सके।

उद्देश्य

1. अपने विधिक व मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए एक अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का निर्माण करना तथा उनको अपनी क्षमताओं से अवगत कराना।
2. शासन तथा निर्णय लेने वाले विविध संस्थानों सहित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की समान रूप से भागीदारी।
3. सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महिलाओं व लड़कियों की पहुंच में सुधार और प्रोत्साहन।
4. अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए महिलाओं की कार्य शक्ति में वृद्धि और प्रोत्साहन।

5. सशक्त नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, संस्थाओं और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन।
6. लिंग के आधार पर असमानता को दूर करने के लिए निगरानी, मूल्यांकन, ऑडिट और डेटा सिस्टम को मजबूत करना।
7. लिंग आधारित मामलों में संवेदनशील कानूनी–न्यायिक प्रणाली का विकास।
8. महिलाओं की सभी विकास प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा मुख्यधारा के कार्यों में भूमिका।
9. पुरुषों और बालकों की सहभागिता तथा सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से समाज के भेदभावपूर्ण व्यवहार व मनोवृत्ति में बदलाव लाना।
10. कमजोर और वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण।
11. सूचनाओं व आंकड़ों के संरक्षण तथा महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेहतर व समुचित विधिक व्यवस्था और साइबर सिक्योरिटी की सुनिश्चितता।
12. महिला सशक्तिकरण के लिए हितधारकों की भागीदारी और साझेदारी को मजबूत करना।

राज्य की सामाजिक-जनसांख्यिकीय रूपरेखा

उत्तराखंड राज्य की स्थापना, 9 नवम्बर 2000 को भारत के 27 वें राज्य के रूप में हुई। इससे पहले यह उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था। 53,483 वर्ग किमी क्षेत्रफल (पर्वतीय क्षेत्र 46035 तथा मैदानी 7448 वर्ग किमी.) में फैला उत्तराखंड अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल सहित, हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित, मुख्य रूप से पर्वतीय राज्य है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड अपनी भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु, नैसर्गिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। राज्य में 13 जिले हैं जिनमें से दस पर्वतीय हैं।[1] उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भारत की दो सबसे महत्त्वपूर्ण नदियों, गंगा और यमुना का उद्गम भी इसी राज्य में होता है जो कि मैदानी क्षेत्रों तक पहुँचते–पहुँचते मार्ग में बहुत से तालाबों, झीलों और हिमनदियों की पिघली बर्फ से जल ग्रहण करती चलती हैं। देहरादून उत्तराखंड की अस्थाई तथा गैरसैंण (भराड़ीसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी हैं। यह खूबसूरत जगह अपने प्राकृतिक परिवेश के कारण पर्यटकों के आकर्शण का केंद्र है।

उत्तराखंड का भूगोल उसको तीन हिस्सों– उच्चतर हिमालय, मध्य और तराई तथा भाबर क्षेत्र में विभाजित करता है। उच्चतर हिमालय में पांच जिले हैं– उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। मध्य हिमालय में टिहरी–गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र, देहरादून की चकराता तहसील तथा तराई या तलहटी में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के शेष क्षेत्र स्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी लोग कुल आबादी के तीन फीसद हैं, जिनमें भोटिया, थारू, बोक्सा, जौनसारी, राजीध्वन रावत प्रमुख हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 18 प्रतिशत है।[2]

यह राज्य जैव विविधता के साथ–साथ 175 दुर्लभ प्रजाति के सुगंधित और औषधीय पौधों से भी समृद्ध हैं। यहाँ पर लगभग सभी प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं जिसके कारण यह बागवानी, फूलों की खेती और कृषि जैसे अनेक व्यावसायिक अवसरों के लिए उपयुक्त है। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य चूना पत्थर, संगमरमर, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, तांबा, जिप्सम आदि जैसी अनेक खनिज संपदाओं से समृद्ध है। राज्य की बारहमासी नदियाँ जलविद्युत का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। झरनों का उपयोग करने वाले छोटे–छोटे विद्युत केन्द्रों के अलावा टिहरी बाँध जल शक्ति को काम में लाने वाली सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। वनों को भी आर्थिक संसाधन माना जाता है।[3]

राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता के स्तर के साथ–साथ राज्य में उत्कृष्ट मानव संसाधनों की भी प्रचुर उपलब्धता है। अपने अस्तित्व में आने की अल्पावधि के बावजूद उत्तराखंड विर्निमाण उद्योग, पर्यटन और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य की भौगोलिक रूपरेखा के अनुसार इसकी अर्थव्यवस्था के सभी तीनों क्षेत्रों (कृषि, उद्योग और सेवाएं) को उनकी पूर्ण क्षमता के साथ सकिय करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से नीतिगत उपाय किए हैं एवं प्रोत्साहन कार्य शुरू किए हैं।[3]

1. https://uk.gov.in
2. https://www.actionaidindia.org/publications/how-free-are-single-women
3. https://uk.gov.in/pages/view/93-state-profile

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड राज्य की आबादी 101.17 लाख है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 0.83 फीसद है। राज्य में मुख्य रूप से 16,826 यानी 81 फीसद गांवों में आबादी 500 से भी कम है। दो हजार से अधिक आबादी वाले गांव या बस्तियां केवल 2.7 फीसद हैं। पर्वतीय क्षेत्र में घनी आबादी नहीं है। रोजगार एवं शिक्षा के लिए पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन ने शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बनाया है।[2]

उत्तराखंड पलायन आयोग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन इस राज्य के लिए एक गंभीर समस्या है। 2001 तथा 2011 की जनगणना की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों मे जनसंख्या की गति बहुत धीमी आंकी जा रही है। 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों की आबादी मे गिरावट आई है जो राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन की ओर इशारा करती है। पलायन की गति ऐसी है कि कई गांवों की आबादी मात्र दो अंकों में रह गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जिलों में जनसंख्या वृद्धि की दर बढ़ी है, जबकि पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों मे यह दर नकारात्मक है। टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जनपदों में असामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम है।[4]

वर्ष 2001 से 2015 के बीच उत्तराखंड के दस पर्वतीय जिलों में 2,80,615 घर खाली हो गए। इसके अलावा उत्तराखंड ने 2001 और 2015 के बीच अपनी कृषि भूमि का 10.32 फीसद हिस्सा खो दिया है। राज्य के सभी जिलों में ऐसी क्षति हुई है। अल्मोड़ा में 1.6 फीसद और चंपावत जिला में 36.07 फीसद के बीच कृषि भूमि का नुकसान दर्ज किया गया है। राज्य के तलहटी क्षेत्र में स्थित देहरादून (22.43 फीसद), हरिद्वार (3.42 फीसद) और ऊधमसिंह नगर (7.05 फीसद) में खेती की भूमि का एक बड़ा हिस्सा शहरी करण और औद्योगिकीकरण की चपेट में चला गया, जबकि, राज्य के दस पर्वतीय जिलों में कृषि भूमि की क्षति लोगों के पलायन करने तथा इसके परिणाम स्वरूप खेती योग्य भूमि को छोड़ने के कारण हुआ है। उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में कृषि भूमि को छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका की सुरक्षा कमजोर हुई है।[5]

राज्य के पर्वतीय जिलों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम होने से बाजार सहित आवश्यक सेवाओं जैसे– शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक पहुंच किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां सेवाओं तथा सामग्रियों के त्वरित वितरण में मुश्किलें पैदा करती हैं। उत्तराखंड में एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं। अन्य समुदायों की तुलना में इनके पास भूमि कम है। भूमि, जिस पर वो स्वयं खेती करते हैं, की स्थिति मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई के संदर्भ में खराब है। साथ ही, महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच बनाने के प्रयास में वो भेदभाव का सामना भी करते हैं। यह आबादी काफी हद तक सामान्य रूप से उपलब्ध संसाधनों तथा ईंधन, चारागाहों और चारे के लिए उपयुक्त वनों पर निर्भर करते हैं। हालांकि सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में इनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, किंतु वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में इनकी भागीदारी, सुविधाएं, सेवाएं और आजीविका के अवसर राज्य के अन्य समूहों की तुलना में काफी कम हैं।[6]

कुल जनसंख्या 101.17 लाख		
पुरुष 52.38 लाख	महिला 49.48 लाख	
कुल ग्रामीण आबादी	पुरुष महिला	
70.37 लाख (लगभग 70%)	35.19 लाख (50.07%)	35.18 लाख (49.99%)

जनसंख्या (2011 की जनगणना प्रतिशत के अनुसार)	
शहरी जनसंख्या	30
महिला जनसंख्या	49
अनुसूचित जाति (एससी)	18
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	3
कुल साक्षरता दर	79.63
पुरुष साक्षरता दर	87.4
महिला साक्षरता दर	70.01

Source: Census of India,2011

5. http://www.uttarakhandpalayanayog.com/homehindi.aspx
6. https://www.actionaidindia.org/publications/how-free-are-single-women

अध्याय : 2

महिलाओं की स्थिति

भारत में महिलाओं की स्थिति

भारतीय समाज लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा–बोली और धनसंपदा में विभाजित है। विशेष रूप से लिंग आधारित विषमताएं भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में प्राचीन काल से ही देखने को मिलती हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, विशेषकर महिलाओं की जरूरतों और समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। राज्य महिलाओं और बच्चों से संबंधित अनुच्छेद 15(3) के तहत कोई भी कानून बना सकते हैं ताकि उनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। इन संवैधानिक प्रावधानों और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों के अलावा समय–समय पर किए गए उपयुक्त राज्य विधानों के माध्यम से संपूर्ण महिला विकास की मांग की जाती है।

भारत की आधी आबादी अर्थात महिलाओं का हमारे देष की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी वो लगभग सभी सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में पिछड़ जाती हैं। एनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट (2020) में सूचीबद्ध 189 देशों में से भारत की रैंक 131 है। रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के बाद से, भारत का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है, जिसमें 50 फीसद से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत 0.488 जीआईआई मान के साथ 162 देशों में से 123वें रैंक पर है। आर्थिक गतिविधियों को श्रम बाजार की भागीदारी से मापा जाता है, जो भारतीय पुरुषों के लिए 76.1 फीसद तथा महिलाओं के लिए 20.5 फीसद है। मातृ मृत्यु अनुपात सूचकांक और षिषु जन्म दर से प्रजनन स्वास्थ्य को मापा जाता है, जो वर्ष 2017 में प्रति एक लाख जीवित जन्म में 133 मृत्यु था।

संसाधनों तक पहुंच में असमानता उस समय ज्यादा होती है जब महिलाएं खाद्य उत्पादक भी होती हैं। ऐसा अक्सर उन देशों में होता है जहां कृषि में महिलाओं का योगदान अधिक है। मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और उप–सहारा अफ्रीका में कुल कृषि श्रम शक्ति में आधा योगदान ग्रामीण महिलाओं का ही है। महिला कृषक न केवल भूमि पर स्वामित्व, बल्कि उत्पादक संसाधनों जैसे पशुधन, कृषि उत्पादनों, तकनीकी और वित्तीय पहुंच के लिए चुनौतियों का सामना करती हैं।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार व्यस्कों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुश पर 943 महिलाएं है, जिसमें 2001 के लिंगानुपात 933 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि बच्चों के लिंगानुपात में एक दशक में गिरावट दर्ज की गई है जो 2001 के लिंगानुपात 927 से घटकर 2011 में 919 हो गई, जो कि चिंता का विषय है।[7]

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी 2021) की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 49 मामले हर घंटे दर्ज किए गए।, कुल मिलाकर, 2021 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जिसमें अपराध की दर (प्रति एक लाख जनसंख्या) 64.5 थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण –5 से पता चलता है कि भारत में प्रत्येक 10 में से लगभग 3 महिलाएँ घरेलू हिंसा का अनुभव करती हैं।

शहर की सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन में या पड़ोस तक में महिलाएं एवं लड़कियां शारीरिक हिंसा, घूरना और मौखिक हिंसा से लेकर यौन हमले तक का शिकार होती हैं। हिंसा की इस तरह की घटनाएं अन्य नागरिकों की तरह उनकी स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों के साथ ही उनकी गतिशीलता के अधिकार, शिक्षा, कार्य, मनोरंजन, समूहों में कार्य करने तथा राजनीतिक भागीदारी के अधिकार को सीमित करती हैं। हिंसा होने का डर भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हैं।[8]

भारत में लिंग के अलावा, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समुदायों को प्रभावित करता है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)–एजेंडा 2030 पर सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लैंगिक असमानता ने महिलाओं की प्रगति पर रोक लगाई है,

7. https://www.census2011.co.in/sexratio.php
8. https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/10/india-smart-cities-mission

जबकि जाति ने लगभग 20 करोड़ से अधिक लोगों के समुदायों के बहिष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रिपोर्ट नागरिकों के वादा न तोड़ो अभियान से समन्वित एवं 10 क्ळे का आकलन है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग और अलग–अलग यौन अभिविन्यास के लोगों को भी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

कोविड–19 महामारी का भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं रोजगार पर भी बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र समाचार में प्रकाशित एक ब्लॉग में एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोविड–19 संकट के दौरान दस में से तीन पुरुषों की तुलना में, चार महिलाओं के रोजगार तथा आमदनी के साधन खत्म हो गए। भारत में पहले से ही दुनिया में महिला श्रम शक्ति की सबसे कम दर है। श्रम बल में पुरुषों की 76 प्रतिशत भागीदारी के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी 25 प्रतिशत से भी कम है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, अगर इस लैंगिक अंतर को खत्म कर दिया जाए, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 27 प्रतिशत की वृद्धि संभव है।[9]

उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति

2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड की कुल आबादी में महिलाओं की जनसंख्या 49 फीसद है। इनमें से 71 फीसद महिलाएं ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। महिला साक्षरता दर 70.01 प्रतिशत तथा लिंगानुपात एक हजार पुरुषों पर 963 महिलाएं है, जबकि पिछले एक दशक का लिंगानुपात 962 प्रति 1000 पुरुश था। यह वर्ष 1991 के लिंगानुपात 936/1000 से बहुत अधिक है। बच्चों का लिंगानुपात 890/1000 है, जो पिछले एक दशक के लिंगानुपात 908/1000 से कम दर्ज किया गया है।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार ही उत्तराखंड में भी लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है। जन्म के समय लिंगानुपात के आंकड़ों को देखकर स्पष्ट होता है कि जो आंकड़ा वर्ष 2012–14 में 871 था वह वर्ष 2016–18 में घटकर 840 हो गया। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तराखंड में जन्म के समय लिंगानुपात एक दशक से अधिक समय से भारत के स्तर की तुलना में काफी

Figure 3: Trends in Sex Ratio at Birth in Uttarakhand

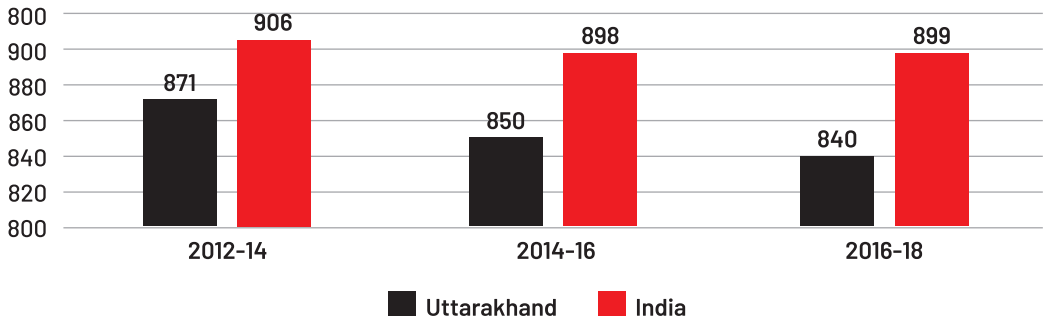

Source: SRS Bulletin

Figure 4: Trends in Son Preference

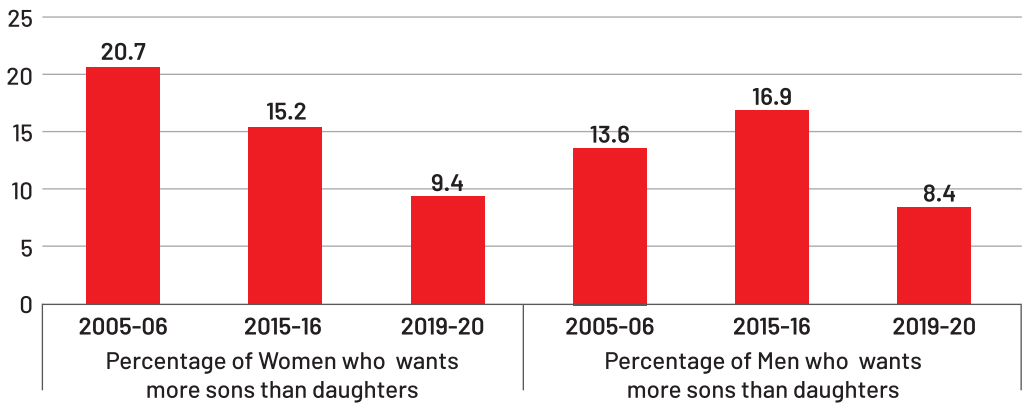

9. https://news.un.org/hi/story/2020/07/1029241

कम रहा है (चित्र 2 देखें)। हालांकि यहां राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में बेटे की पसंद में गिरावट का चलन देखने को मिला है। बेटियों से अधिक बेटा चाहने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2005–06 में 20.7 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 9.4 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, अधिक बेटे चाहने वाले पुरुषों का प्रतिशत वर्ष 2005–06 में 13.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 8.4 प्रतिशत हो गया है। (आंकड़ा देखें)

उत्तराखंड में लगभग 62.4 प्रतिशत महिला आबादी कामकाजी आयु वर्ग में है, 29.1 प्रतिशत युवा आयु वर्ग में है और लगभग 37.9 प्रतिशत आश्रित आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। (चित्र 1 देखें)

यदि उत्तराखंड मानव विकास सूचकांक को देखें तो (एचडीआई) के आंकड़ों में वर्ष 2011–12 (0.691) से वर्ष 2017–18 में 0.758 तक सुधार देखा गया है जो इसे 0.672 के अखिल भारतीय एचडीआई स्कोर से अधिक रखता है। अपने एचडीआई स्कोर के आधार पर, उत्तराखंड को वर्ष 2017–18 में भारत में 7वें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि वर्श 2011–12 से 2017–18 में एचडीआई स्कोर में सुधार के मामले में राज्य को पूरे भारत में चौथे नंबर पर रखा गया था।

इसी तरह उत्तराखंड का लिंग विकास सूचकांक (ळक्) स्कोर वर्श 2011–12 में 0.890 से वर्श 2017–18 में 0.925 हो गया है, जो कि 0.876 के अखिल भारतीय ळक् स्कोर से अधिक है। अपने जीडीआई स्कोर के आधार पर, उत्तराखंड को वर्श 2017–18 में भारत में 14वें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थान दिया गया था (चित्र 2)।

Figure 1: Improvement in HDI & GDI Scores of Uttarakhand vis-a-vis India, 2011-12 to 2017-18

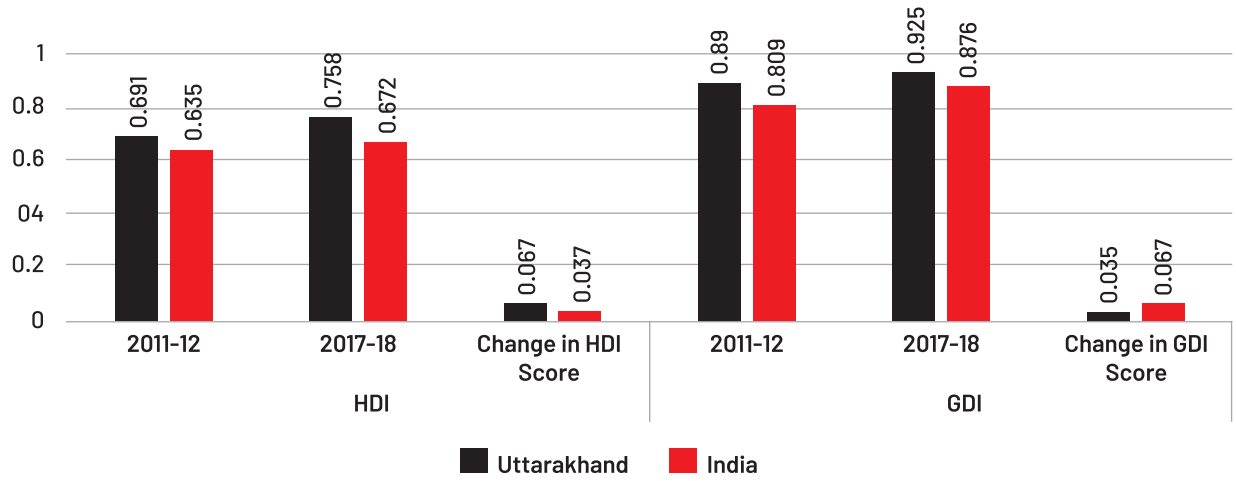

Source: Gendering Human Development, MOSPI 2018

Figure 2: Age Structure of Women in Uttarakhand, 2021

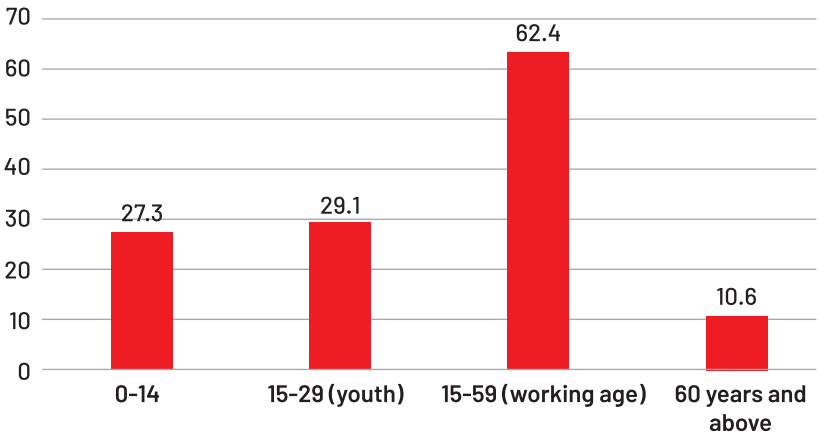

Source: PLFS 2019-20

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के सामने तमाम चुनौतियां हैं। वह अक्सर सोचती हैं कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की तरह उनको भी समाज में अधिक स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिले। यह बात सही है कि इन महिलाओं के सामने बहुत–सी जिम्मेदारियां हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले गांवों में परिवार के साथ कृषि और पशुपालन भी उन्हीं के भरोसे है। सीमित संसाधन तथा निर्णय लेने के नियंत्रित अधिकार के बावजूद उत्तराखंड की महिलाओं के श्रम का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है, चाहे वो घर से बाहर हों या घर में। महिलाएं कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े कार्य करती हैं। उनको सुबह से लेकर रात तक कृषि और पशुपालन के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। यही श्रम उनको पहाड़ में अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में परिभाशित करता है। इसके बाद भी उनको कृषक नहीं माना जाता।

2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में कुल परिवारों में से 19 फीसद की मुखिया महिलाएं हैं, जबकि यहां राष्ट्रीय औसत 13 फीसद से अधिक है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 20.80 फीसद परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जो शहरी क्षेत्र के 15. 43 फीसद से ज्यादा है। महिला प्रधान परिवारों की संख्या का प्रतिशत पौड़ी गढ़वाल जिला में सबसे अधिक 34.97 तथा इसके बाद अल्मोड़ा जिला में 33.28 व टिहरी गढ़वाल जिला में 31.09 फीसदी है।[10]

राज्य में जलवायु परिवर्तन और सीधे तौर पर मानवीय दखल की वजह से वन, भूमि और जल स्रोतों की स्थिति में बदलाव ने विशेष रूप से महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली बहुसंख्यक महिलाओं को प्रतिदिन 6 से 10 किमी. की दूरी 25 किलो या इससे ज्यादा भारी बोझ ढोकर चलना पड़ता है। पुरुषों के रोजगार के लिए घरों से दूर दूसरे राज्यों या जिलों में प्रवास करना भी महिलाओं के लिए एक और बड़ी समस्या है। इससे उन पर कार्यों का दबाव कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, पर निर्णय लेने के अधिकार नियंत्रित व सीमित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में मुख्य कामगारों की कुल संख्या 28,70,624 में महिलाएं 27.86 फीसद हैं। हालांकि मार्जिनल (सीमांत) कामगारों में महिलाओं का प्रतिशत 51.96 फीसद है जो कि बहुत अधिक है, वहीं गैर श्रमिकों की श्रेणी में 58.38 फीसद महिलाएं शामिल हैं। मुख्य कामगारों की श्रेणी में सबसे अधिक महिलाएं अल्मोड़ा जिला तथा इसके बाद देहरादून जिला में हैं। सीमांत कामगारों में महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिशत टिहरी गढ़वाल तथा गैर श्रमिकों का सबसे अधिक प्रतिशत हरिद्व ार जिला में है। शहरी क्षेत्र में 14.31 फीसद की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 33 फीसद महिलाएं मुख्य कामगारों की श्रेणी में शामिल हैं। इन सबके बावजूद महिलाओं की उत्पादक संसाधनों तक पहुंच बहुत सीमित है तथा अत्यधिक कार्य बोझ पर नियंत्रण नहीं है।

उत्तराखंड में महिलाओं पर हिंसा के मामले बहुत अधिक हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी 2021) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2021 में महिलाओं के प्रति अपराधिक गतिविधियों के दर्ज 3431 है जिसमें बलात्कार के मामले 534 एवं घरेलू हिंसा के मामले 519 हैं । जबकि 2020 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार पर्वतीय राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल मामले 2846 थे । यह संख्या 2019 में 2541 थी। आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं।

एन एफ एच एस–5 में किये गये सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 49 वर्ष की महिलायें जिनके स्वयं के नाम से या संयुक्त नाम से मात्र 23.8 प्रतिशत के पास घर है जबकि पुरूषों के लिये यह आंकड़ा 52.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार से 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के स्वयं के नाम से या संयुक्त रूप से मात्र 17.5 प्रतिशत के पास ही भूमि का स्वामित्व है जबकि पुरूषों के लिये यह आंकडा 38.8 प्रतिशत है।[11]

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए योजनाएं एवं अधिनियम

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के समूहों ने समय–समय पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संकल्प पारित किए जिसमें भारत ने सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उदाहरण के रूप में हम बीजिंग घोषणा को देख सकते हैं–

10. http://uttarainformation.gov.in/news.php?id=2560 / उत्तराखण्ड एक नजर में / जनपदवार जनसंख्या 2011
11. https://ruralindiaonline.org/or/library/resource/national-family-health-survey-nfhs-5-2019-21-uttarakhand

बीजिंग घोषणा में रणनीतिक उददेश्य एफ 1 के अर्न्तगत, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, रोजगार तक उनकी पहुच को बढ़ाना एवं उपयुक्त काम करने की स्थिति और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, शामिल है।

इसी प्रकार बीजिंग घोषणा के ''अध्याय 6 – वित्तीय व्यवस्था'' के अर्न्तगत जेन्डर आधारित बजिटिंग की बात कही गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाओं की उन्नति के लिए वित्तीय और मानव संसाधन आम तौर पर अपर्याप्त रहे हैं। नैरोबी में ''महिलाओं की उन्नति के लिए तय की गई रणनीतियों'' के क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी रही है। प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन का पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिये, (जिसमें पिछले संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनों में की गई प्रासंगिक प्रतिबद्धताये भी सम्मलित हैं,) एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मानव और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता हासिल करने के लिए और विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण एवं नीतियों एवं कार्यक्रमों हेतु बजटीय निर्णयों को एक जेन्डर आधारित दृष्टिकोण से भी देखे जाने की आवश्यकता होगी। प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन के क्रियान्वयन के लिये फण्ड (वित्तीय संसाधनों) की पहचान करनी होगी साथ ही इन्हे सभी क्षेत्रों से जुटाने के प्रयास करने होगे। नीतियों में सुधार और कार्यक्रमों के बीच संसाधनों के पुनः आवंटन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन कुछ नीतियों में वित्तीय प्रभावों के चलते ऐसे बदलावों की आवश्यकता नही भी हो सकती है। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में नवीन स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाना भी आवश्यक होगा

केंद्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं और समाज के कमजोर लोगों के कल्याण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए योजनाओं एवं अधिनियमों को लागू किया है। इनमें से कुछ योजनाएं महिलाओं से भी संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैं–

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम
- निराश्रित महिलाओं, मानसिक विकलांग लोगों की पत्नी, निर्भर अविवाहित महिला के लिए पेंशन
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
- तीलू रौतेली पेंशन योजना
- निराश्रित विधवा भरणपोषण अनुदान
- वृद्धावस्था पेंशन
- हिंदू दत्तक ग्रहण और रख–रखाव अधिनियम 1956
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राज्य सरकार ने पिरूल नीति से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार की संभावनाएं व्यक्त की हैं। पिरूल संयंत्र के लिए जंगलों से पिरूल एकत्र करने में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। वन पंचायत स्तर पर महिला मंगल दलों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। महिलाएं घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। महिला समूहों और महिला वन पंचायतों की भूमिका और भी सशक्त हो सकेगी। चूंकि प्रदेश में ऐसे करीब छह हजार पिरुल संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इस हिसाब से देखें तो अगर एक संयत्र से 10 लोगों को भी रोजगार मिले तो कुल 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। इस योजना से पलायन पर बहुत हद तक रोक लग सकेगी। इस तरह पिरूल नीति महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में उपयोगी साबित होगी।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की एकल महिलाओं के लिये पहल

योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सरकारी योजनाओं में एकल महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त एकल महिलाओं के लिए केंद्र सरकार से प्रायोजित योजनाओं के तहत नौकरियों में कुछ फीसद आरक्षण भी दिया जा रहा है। एकल महिलाओं के संगठनों को ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं। योजना आयोग ने इंदिरा आवास योजना और मनरेगा में भी एकल महिला के लिए कुछ फीसद आरक्षण की व्यवस्था

का प्रस्ताव दिया है। महिलाओं को कानूनी हक दिलाने और उनके वैवाहिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता दिलाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत परिवार के लिए –रु39याौचालय

- विधवा पुनर्विवाह अनुदान योजना
- अंत्योदय अन्न योजना (अनाज योजना)
- गौरा देवी कन्या–ंउचयधन योजना
- उत्तराखंड ऋण अनुदान आवासीय योजना
- निराश्रित विधवा की बेटियों की –रु39याादी के लिए अनुदान
- निराश्रित महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की पत्नी की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान
- अटल आवास योजना
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं की –रु39याादी के लिए अनुदान

इसी प्रकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ एकल महिला उठा सकती है। इनमें विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण, पशुपालन, पर्यटन, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि विभाग की योजनाएं भी शामिल हैं–

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु)
- किसान पेंशन योजना (लघु और सीमांत किसानों के लिए)
- स्व–रोजगार योजनाएं
- छात्रवृत्ति योजनाएं

राज्य की हाल की योजनाएं और घोषणाएं

उत्तराखंड राज्य द्वारा वास्तव में महिला हितों के लिए सराहनीय पहल की गई हैं, जिनसे उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

एक ऐतिहासिक फैसले में, उत्तराखंड सरकार पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह–स्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाई है। यह अध्यादेश काम की तलाश में पुरुष सदस्यों के बड़े पैमाने पर प्रवास को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, जो पति के प्रवास के कारण पीछे अकेली रह जाती हैं और अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर होती हैं।

उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में किए गए संशोधन से राज्य में लगभग 35 लाख महिलाओं के लाभान्वित होने की संभावना है। राजस्व रिकॉर्ड में पत्नी का नाम अब सह–मालिक के रूप में उल्लेखित होगा।[12]

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की हजारों महिलाओं को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना (एमजीकेवाई) पारित करने के साथ बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत, 7,771 केंद्रों के माध्यम से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के लिए चारे

12. https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/ukhand-becomes-1st-state-to-give-co-ownership-rights-to-women-in-husbands-ancestral-property/articleshow/81096564.cms

की आपूर्ति की जाएगी। इन क्षेत्रों में पशुपालकों को पैक्ड साइलेज और कुल मिश्रित राशन (टीएमआर) प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आएगी, जिन्हें जंगल से चारा इकट्ठा करते समय कष्टों और खतरों का सामना करना पड़ता है।[13]

राज्य सरकार की पहल- उपलब्धियां और चुनौतियां

उपलब्धियां

उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिलता हैं। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2015–16 (एनएफएचएस .4) में 39.7 थी जो कि वर्ष 2020.2021(एनएफएचएस .5) में 39.1 हो गई। आंकड़ों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में लगभग 83.2 प्रतिशत महिलाओं ने या तो किसी स्वास्थ्य संस्थान में या प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति में अर्थात सुरक्षित स्थितियों में बच्चों को जन्म दिया है। राज्य ने 12 से 23 महीने के बच्चों के बीच टीकाकरण कवरेज के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य में लगभग 80.8 प्रतिशत योग्य बच्चों को सभी अनुशंसित टीकाकरण की पूर्ण खुराक प्रदान की गई और सार्वभौमिक टीकाकरण करने की संभावना भी अधिक है। राज्य में गरीबी का स्तर 11.3 प्रतिशत था जो 2011–12 में लगभग 22 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी कम था।[14]

उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर में 2001 से 2011 के जनगणना दशक में 8 प्रतिशत का सुधार दर्ज किया गया, जो 78.8 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय औसत (74.04 फीसदी) से 4.76 प्रतिशत से अधिक है। वहीं युवा (15 से 24 वर्ष) की साक्षरता दर 98.78 फीसदी दर्ज की गई है जिसमें कोई लैंगिक अंतर नहीं है।[14]

षिक्षा के क्षेत्र में देखें तो 2015–16 में राज्य में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 85.7 प्रतिशत एवं 75.8 प्रतिशत था, जो राष्ट्रीय औसत दर 80.2 प्रतिशत और 56.2 प्रतिशत से अधिक था।[14]

उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को अवसरों की समानता के लिए राजकीय सेवाओं में आरक्षण, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण, भूमि पर स्वामित्व के लिए रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी पर छूट जैसे कदम उठाए गए हैं जिससे राजकीय सेवाओं एवं राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

चुनौतियां

महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, सम्पत्ति पर अधिकार, निर्णयों में महिलाओ की भागीदारी ,महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा आदि के आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभी भी राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास में चुनौतियां हैं

निम्नलिखित व्यक्तिगत जीवन की कहानियां राज्य में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित करती हैं–

पार्वती (17 वर्ष) का विवाह 25 वर्ष के सोहन से हुआ था। परिवार के पास 0.140 हेक्टेयर कृषि भूमि है जिस पर पिछले 10 वर्ष से पार्वती खेती करती आ रही थी। चार बच्चे व बूढ़े सास–ससुर की देखरेख की जिम्मेदारी भी पार्वती पर थी। पति दैनिक मजदूरी करता है। रोज शाम को शराब पीकर घर आने और पार्वती के साथ मार–पीट व गाली गलौच करने से परिवार की सुख शांति भंग रहती थी। एक दिन सोहन ने अति कर दी और पार्वती को घर से निकाल दिया। मजबूरन वह अपने मायके में रहने लगी जो कि पहले से ही गरीबी से जूझ रहा है।

10 वर्ष तक जिस खेत में पार्वती ने मेहनत की वह आज उसका नहीं है। कानून के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद ही पत्नी को हक मिलता है। वह पति के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहती है। पार्वती कहती है कि "मेरा बाल विवाह, अशिक्षित

contd...

13. https://sarkariyojana.com/mukhyamantri-ghasiyari-kalyan-yojana-uttarakhand
14. https://des.uk.gov.in/files/HDR_Report_Uttarakhand.pdf

... contd

होने और भूमि पर अधिकार नहीं होने के कारण मेरे साथ ये भेदभाव और हिंसा होते रहे। मेरा अपमान किया जाता रहा।" अगर उसे महिला किसान का दर्जा मिलता और कृषि भूमि में बराबर का मालिकाना हक होता तो शायद पार्वती तथा उस जैसी कई महिला किसानों की यह दुर्दशा नहीं होती।

नैनीताल जिला की करीब 40 वर्षीया मीना (नाम परिवर्तित) तलाकशुदा हैं और अपनी वृद्ध माता के साथ रहती हैं। मीना की डायबिटीज रोगी माता जी को हर तीसरे दिन डायलिसिस के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। उनका भाई दिल्ली में रहता है जो परिवार से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखता। मीना बागेश्वर जिला के दुर्गम स्थान में बतौर गेस्ट टीचर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उनकी चिंता है कि माता जी को डायलिसिस के लिए कौन ले जाएगा? उनको छुट्टियां अधिक लेने की वजह से नौकरी खोने का खतरा है। आय का अन्य कोई साधन उनके पास नहीं है। मीना चाहती हैं कि माता जी के केयर और स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए वे किफायती शुल्क अदा करने को तैयार हैं। उनका सवाल है कि क्या किसी प्रावधान के तहत उनकी माता जी के लिए नियत तिथि पर डायलिसिस और समुचित देखरेख की व्यवस्था हो सकती है? इससे उन्हें आय के एकमात्र स्रोत नौकरी को नहीं गंवाना पड़ेगा।

देहरादून शहर में एक बुजुर्ग महिला कमला देवी (नाम परिवर्तित) हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। पति की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थीं। कमला देवी अपने पुराने घर में अकेली रहती हैं। उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। अनाज व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में कुछ लोग कभी–कभार सहयोग करते हैं। वृद्ध कमला देवी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं। उनके पास अस्पताल तक जाने का साधन नहीं है। किसी भी आपात स्थिति में उनके जीवन सुरक्षा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, उनके लिए अनाज व अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रबंध का प्रावधान होना अत्यंत आवश्यक है।

पति और सास–ससुर के साथ पिथौरागढ़ जिला के दुर्गम गांव में रहने वाली 22 वर्षीय कमला का पति दैनिक मजदूरी करता है। उनके पास भूमि का एक टुकड़ा है जिस पर कमला खेती करती है। मेहनत मजदूरी से परिवार चल जाता है। कमला का पहला प्रसव था। नौवें माह में तकलीफ शुरू हुई तो गॉव की आशा कार्यकर्ता ने एक बार डॉक्टर से जांच कराने को कहा। गांव से मुख्य सड़क 3 किमी. ऊंचे–नीचे रास्ते से चलकर जाना होता है, इसलिए कमला को डोली में बिठाकर दो लोगों ने सड़क तक पहुँचाया, जिसमें 1 घंटा लग गया। वहां से 108 एंबुलेंस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाया। डॉक्टर नहीं मिलने, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने के कारण उसको जिला अस्पताल ले जाने को कहा गया। दो घन्टे का सफर तय कर महिला अस्पताल पहुँची पर उचित सुविधाओं की कमी (रेडियोलिजिस्ट नहीं होने तथा गंभीर स्थिति को देखते हुए) कमला को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जो पिथौरागढ़ से सात–आठ घंटे का सफर था। गरीब परिवार के पास तत्काल हल्द्वानी ले जाने का कोई विकल्प नहीं था। दूसरे दिन प्रातः वैन बुक करके कमला को हल्द्वानी ले जाया जा रहा था। रास्ते में अत्यधिक रक्तस्राव व पीड़ा की वजह से कमला ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही समुचित सुविधाएं मिल जातीं तो कमला का सुरक्षित प्रसव हो सकता था।

आंकड़ों की कमी – हालांकि राज्य और केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रगतिशील कानून और अध्यादेश ला रही है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करने की चुनौती है कि उन योजनाओं को जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए ताकि वे हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को भी लाभान्वित करें। आंकड़ों की कमी और इसकी सरल पहुंच महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। लिंग संवेदनशील संकेतकों का उपयोग अधिक प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए बहुत जरूरी है।

प्रौद्योगिकी की खामियों को दूर करना – ऑनलाइन धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तत्व तकनीकी समावेश के लिए हानिकारक हैं। सरकार को इस तरह की खामियों को दूर करने की जरूरत है ताकि प्रौद्योगिकी को पारदर्शी और कुशल बनाने में वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। इन तत्वों का महिलाओं पर अन्य वर्गों की तुलना में अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाएं होती हैं। इस विसंगति को संज्ञान मे लेते हुए राज्य सरकार को अधिक प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

अध्याय : 3

प्रमुख क्षेत्र और नीति निर्देशक

शिक्षा

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की 78ण्8 प्रतिशत साक्षरता दर्ज की गई है जो देश के कुल औसत से अधिक है। 2011 में इस क्षेत्र की औसत महिला साक्षरता 70 प्रतिशत दर्ज की गई थी। 2011 में अनुसूचित जाति की महिला की औसत साक्षरता 64.1 प्रतिशत थी जो समान श्रेणी के पुरुष साक्षरता से 20.3 फीसदी कम है। उत्तराखंड में आदिवासी आबादी की महिला साक्षरता 63.9 फीसदी दर्ज की गई है जो सभी जातियों की औसत महिला साक्षरता से कम है। महिला साक्षरता का निम्न स्तर उन परंपराओं की वजह से भी है जिनमें उनकी शिक्षा पर बहुत कम जोर दिया जाता था। इसके अलावा और शिक्षण संस्थानों की कम संख्या भी एक प्रमुख कारण है। उच्च साक्षरता स्तर वाले शहरीकरण और अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या तथा उच्च साक्षरता वाले जिले माध्यमिक और तृतीयक सेवाओं में लगे हुए हैं।

राज्य में बालिकाओं और महिलाओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उन सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जो उनको शिक्षा से जोड़ती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन होता है, लेकिन माध्मिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उनकी संख्या लगातार कम होती चली जाती है।[15]

यदि विभिन्न शैक्षिक स्तरों के अनुसार महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। उत्तराखंड में 52.3 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में मात्र 39 प्रतिशत महिलाएं माध्यमिक या उससे ऊपर तक शिक्षित हैं। 30.7 प्रतिशत महिलाएं साक्षर नही हैं, जबकि पुरूषों के लिये यह प्रतिशत 13.2 प्रतिशत है। (चित्र 5 देखें)।

आंकड़ों से पता चलता है कि वर्श 2018–19 में 3–35 वर्ष की आयु की कुल लड़कियों में से लगभग 45.4 प्रतिशत लड़कियां किसी न किसी शैक्षिक कार्यक्रम में नामांकित तो हुईं परन्तु वह कक्षाओं में नियमित नही रहीं। इनके प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करने पर 36.5 प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू गतिविधियों में व्यस्तता को शिक्षा में शामिल न होने का प्रमुख कारण बताया, जबकि 18.8 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह को शिक्षा में शामिल न होने का प्रमुख कारण बताया।

Figure 5: Percentage distribution of population above 15 years of age in Uttarakhand by their general educational level, 2019-20

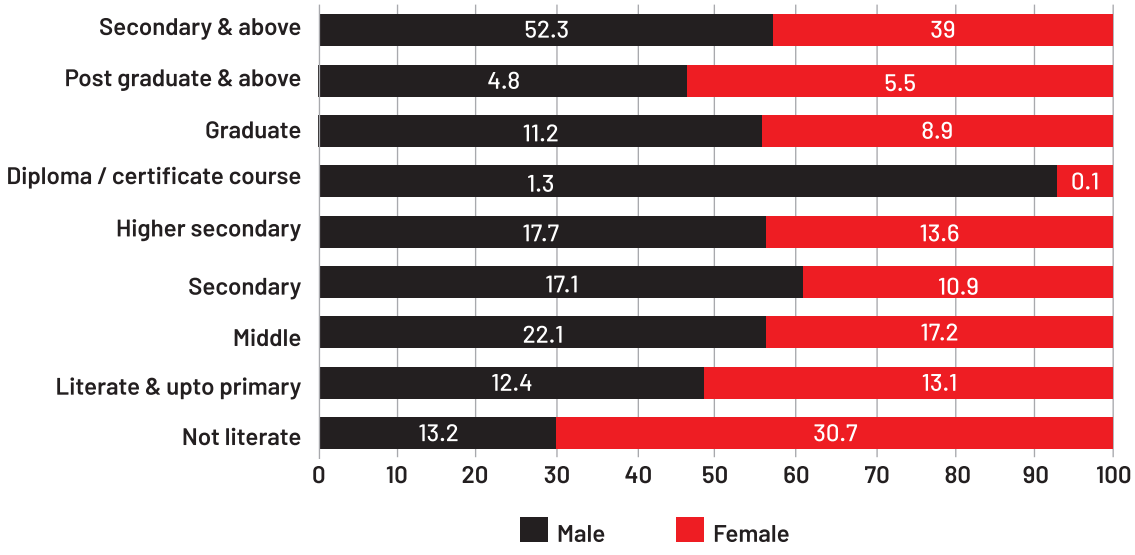

Source: PLFS 2019-20

15. https://ruralindiaonline.org/or/library/resource/national-family-health-survey-nfhs-5-2019-21-uttarakhand - Page 46-47

ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने के लिए वृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। समाज में बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने हेतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनकी पसंद पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से बालिकाओं की अनुपस्थिति को कम करने के लिए उनके अनुकूल वातावरण बनाने तथा पोषण एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को विद्यालयों के माध्यम से संचालित करने की पहल को और विस्तारित किया जा सकता है। आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुविधाओं और संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे उनको अनुकूल पर्यावरण में शिक्षा को जारी रखने का अवसर मिल सके।[16]

कोविड–19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली के साथ–साथ प्रौद्योगिकी के विलय का मार्ग भी प्रशस्त किया है। कोविड–19 के संक्रमण के दौर में विद्यालयों बंद होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई का वातावरण तैयार हुआ। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बालिकाओं को दूर स्थित विद्यालयों में जाने से रोका जाता है वहां ऑनलाइन पढ़ाई को किसी अवसर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए पहले उन ग्रामीण अंचलों को तकनीकी व्यवस्था से समृद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में निजी विद्यालयों में बालिकाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही उन सभी नामांकनों की निगरानी भी की जाए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित हुए हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जहां निजी विद्यालय गांवों से बहुत दूर हैं वहां आरटीई एक्ट के तहत बालिकाओं को षिक्षित किए जाने की वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य करना आवश्यक है। इसी के साथ–साथ शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले सभी विभागों, उपक्रमों एवं संस्थानों को भी समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित अव्यवहारिक, तर्कहीन एवं परंपरागत मानदंडों को शिक्षा के माध्यम से हतोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुरक्षित, रोजगारोन्मुखी, स्वास्थ्य एवं पोषण की दृष्टि से सहयोगी तथा तकनीकी रूप से सक्षम माहौल बनाने की आवश्यकता है।[16]

क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां

1. सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त हों। बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन को सुनिश्चित किये जाने के लिये विभिन्न स्तरों पर विशेष अभियान चलाये जाने चाहिये जिसमें समुदाय एवं अन्य हितगामियों की भूमिका सुनिश्चत हो।
2. एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां प्राथमिक से उच्च शिक्षा स्तर तक बालिकाएं बाधामुक्त एवं समृद्ध बुनियादी ढांचे में अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। शिक्षण संस्थानों में उनके अनुकूल सुरक्षित, भयरहित तथा सौहार्द्रपूर्ण वातावरण सुनिष्चित किया जाए।
3. महिलाओं और किशोरियों के लिए संचालित सभी योजनाओं को समयबद्ध बनाते हुए निगरानी तंत्र को सशक्त किया जाए। इन योजनाओं को प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं से जोड़ा जाए।
4. सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक की पाठ्यपुस्तकें तथा यूनीफार्म का निःशुल्क वितरण किया जाए।
5. दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां बालिकाओं का निवास माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एव स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से दूर अवस्थित हैं, उनको सबसे नजदीकी विद्यालय अथवा महाविद्यालय में नामांकित करते हुए उन्हें उस विद्यालय या महाविद्यालय से ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने की व्यवस्था की जाए जहां समुचित सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध हों। इन बालिकाओं को संबंधित निकाय स्तर पर एक साथ ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इन बालिकाओं को शिक्षा की विधिसम्मत मुक्त व्यवस्थाओं, जैसे– नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल स्कूलिंग (एनआईओएस), उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी (उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) आदि के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए तथा इन संस्थानों में राज्य की बालिकाओं के लिए विशेष छूट का प्रावधान हो।
6. बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सभी शिक्षण संस्थानों (निजी एवं राजकीय) के शुल्क में छूट का प्रावधान हो।
7. बालिकाओं के शिक्षण संस्थान तक आवागमन की सुविधा हेतु परिवहन किराये में छूट का प्रावधान किया जाए।
8. उच्चतर माध्यमिक स्तर और उससे आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए योग्यता के आधार पर बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा इस व्यवस्था के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना।

16. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESG2016.pdf

9. कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति का प्रावधान तथा इस व्यवस्था के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना।

10. विद्यालयों में बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, विशेषकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के समय सजगता के लिए।

11. बालिकाओं को रोजगार आधारित कंप्यूटर एवं डिजीटल से संबंधित प्रशिक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शुल्क में छूट आधारित प्रोत्साहन योजना।

12. स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं की पसंद के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रम तथा स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए धन की उपलब्धता तथा सेवाओं व उत्पादों को बाजार से जोड़ने की मजबूत व्यवस्था हो। साथ ही स्थानीय संसाधनों पर आधारित पर्यावरण के अनुकूल तथा नवीनतम तकनीकी पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाए।

13. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास, जिसमें नेतृत्व, प्रबंधन एवं समन्वय आदि के गुण विकसित होते हों, पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए।

14. उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय गांवों में कौशल विकास के नियमित शिविरों के माध्यम से महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान को समृद्ध करके उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ा जाए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इनके कार्यों एवं उत्पादों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए। बालिकाओं एवं महिलाओं को उत्पादों के प्रसंस्करण, डिजीटल प्लेटफॉर्म पर विपणन, कच्चे माल एवं धन की उपलब्धता एवं बाजार मूल्य का ज्ञान कराने के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाएं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के स्टार्टअप से जुड़ने के लिए समुचित जानकारियां एवं धन की उपलब्धता भी प्रशिक्षण का हिस्सा हो।

15. बालिकाओं को तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे पॉलिटेक्निक या आईटीआई में विश्व स्तर पर हो रहे तकनीकी बदलावों के अनुरूप ट्रेड का ज्ञान कराने की व्यवस्था की जाए।

16. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विद्यालयी शिक्षा का अंग बनाए जाएं जो बाजार की मांग के अनुरूप हों तथा भविष्य में जिनसे बालिकाओं की आर्थिक स्थिति एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता हो।

17. बालिकाओं और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और बाजार की आवश्यकताओं से मेल खाने वाले तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाए।

18. किशोरियों को विद्यालय स्तर पर ही स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों एवं उनके समाधान के लिए जागरूक बनाना।

19. बालिकाओं को खेल सहित अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। जिला एवं राज्य स्तर की टीमों में सुदूर क्षेत्र की बालिकाओं को भी खेलने के समान अवसरों की उपलब्धता सुनिशिचित करना।

20. उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में बालिकाओं व महिलाओं को करिअर परामर्श सुविधाओं की विद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्तर पर व्यवस्थाएं करना।

21. आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुरक्षा एवं सुविधाएं बढ़ाना।

22. उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में महिलाओं से संबधित कानूनी अधिकारों तथा अधिनियमों एवं अन्य प्रावधानों को शामिल करना।

23. लैंगिक समानता को प्रमुखता देने वाले अभ्यास शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाएं। उनको नई शिक्षा नीति 2020 में विषेश कर बालिकाओं के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी जाए।

24. विद्यालयों–महाविद्यालयों में बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को अमल में लाया जाए। यद्यपि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले शिकायत की जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

25. वैसे शैक्षणिक संस्थानों में, जहां आवासीय व्यवस्था में महिला कर्मचारी एवं छात्राएं निवास करती हैं, वहां किसी भी शिकायत, अधिकारों के हनन अथवा दुरुपयोग की जांच के लिए निर्धारित व्यवस्था होने के साथ ही निगरानी के मानकों का मजबूती से पालन किया जाए।

26. सभी सरकारी विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों में में यौन उत्पीड़न निरोधक समितियों की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

27– आनाथ एवं निराश्रित बालिकाओं के लिये अवासीय विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाये।

स्वास्थ्य - खाद्य सुरक्षा, पोषण, जीवन रक्षा, चिकित्सा

स्वास्थ्य का खाद्य सुरक्षा, पोषण, जीवन रक्षा एवं चिकित्सा से सीधा संबंध है। संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को लेकर चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं जिसके लिए विषम भौगोलिक परिस्थितियां खास तौर पर जिम्मेदार हैं, जिसके कारण आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं वाले अस्पतालों तक पर्वतीय गांवों की पहुंच बहुत कठिन हो जाती है। इससे मां एवं नवजात की जीवन सुरक्षा के लिए चुनौतियां खड़ी होती हैं। पोषण को लेकर पर्याप्त जागरूकता की कमी तथा पोषक तत्वों तक पहुंच नहीं होना भी एक बालिका के पूरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पोषक तत्वों के स्रोतों के रूप में खाद्य पदार्थों की प्रचुर उपलब्धता है, पर ये उनके खानपान का हिस्सा नहीं होते जिसकी वजह जानकारियों की कमी एवं प्रोत्साहन का अभाव है।

जीवन के हर चरण में पोषण एवं स्वास्थ्य में लैंगिक आधार पर भेदभाव के गंभीर परिणाम होते हैं। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण करने से मां और बच्चे, दोनों के जीवन पर खतरा मंडराता है। यह सामाजिक और स्वास्थ्य, दोनों की दृष्टि में खराब स्थिति है और यह जीवनभर शारीरिक विकास में बाधा बनती है।

15–49 वर्ष की आयु की कम वजन वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2015–16 में 18.4 प्रतिशत थी जो कि 4.5 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2019–20 में 13.9 प्रतिशत हो गई। हालांकि जिला पौड़ी और नैनीताल में कम वजन वाली महिलाओं के अनुपात में नगण्य कमी आई है (चित्र 6 देखें)। उत्तराखंड में गैर–गर्भवती एनीमिक महिलाओं के प्रतिशत में बहुत मामूली गिरावट आई है। गैर–गर्भवती एनीमिक महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2015–16 में 45.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019–20 में 42.4 प्रतिशत हो गया है। चिंताजनक स्थिति जिला अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में है जहां गैर–गर्भवती महिलाओं में खून की कमी (एनिमिक महिलाओं) की संख्या में वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार ने ''एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत पोषण अभियान'' को लागू किया है, इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मोबाइल मेडिकल यूनिट सहित स्वास्थ्य तथा जीवन रक्षा संबंधी योजनाओं को भी लागू किया गया है।

उत्तराखंड में मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2015–17 में 89 था जो कि वर्ष 2017–19 में बढ़कर 101 हो गया। प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी), प्रसवोत्तर देखभाल और प्रसव के दौरान प्रदान की गई स्वास्थ्य सुविधाएं, गर्भावस्था के दौरान की गई निगरानी, इस दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताओं की जांच स्वास्थ्य जोखिम को कम करता है और मातृ मृत्यु को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रसवपूर्व देखभाल के दौरान कम से कम 4 बार स्वास्थ्य केन्द्र के भ्रमण और गर्भवती की पूर्ण जांच की सिफारिश करता है। एनएफएचएस 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में 15–49 वर्ष की महिलाएं जिन्होंने जीवित बच्चों को जन्म

Figure 6: Change in proportion of Underweight Women in Uttarakhand

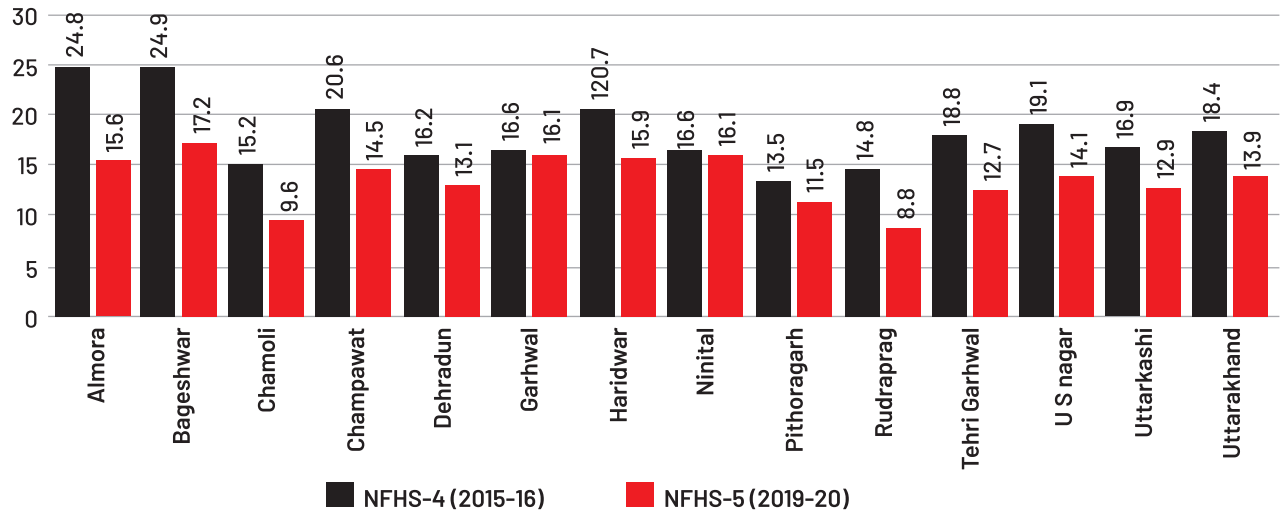

Figure 7: Reduction in Anemia among non-pregnant women in Uttarakhand

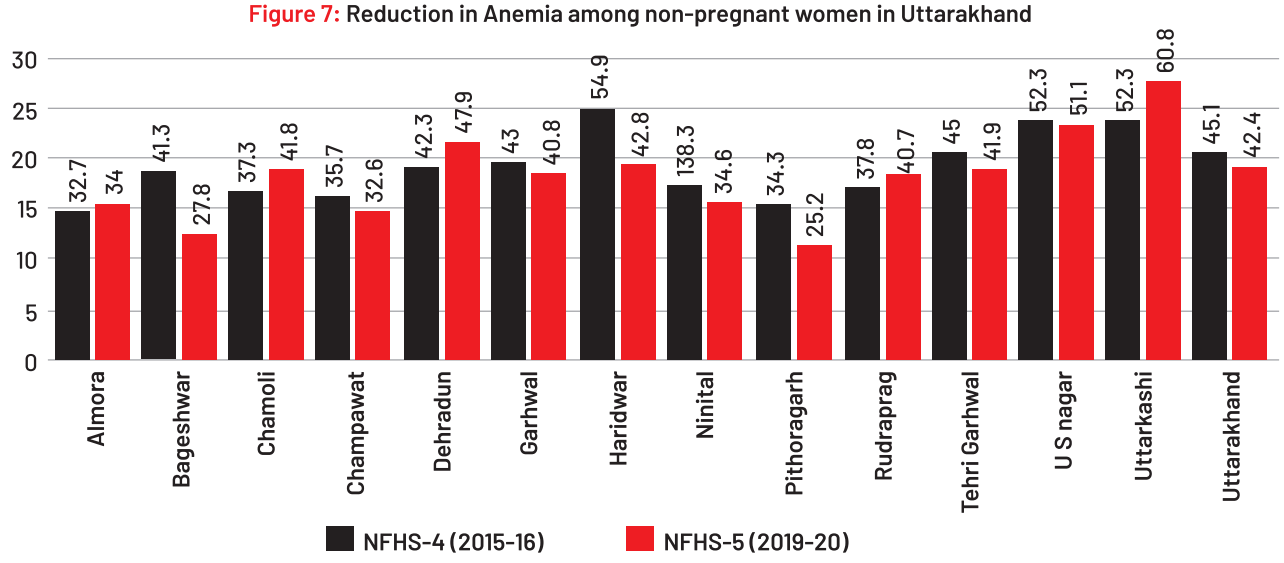

Source: NFHS 4 & 5

दिया, उनके द्वारा चार या उससे अधिक बार एएनसी का दौरा किया गया। यदि जिला स्तर पर देखें तो पौड़ी में 40 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 44 प्रतिशत, टिहरी गढ़वाल में 49 प्रतिशत और हरिद्वार में 48.5 प्रतिशत महिलाओं ने चार या अधिक एएनसी का दौरा किया।

राज्य सरकार ने राज्य में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, आपातकालीन प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराने, मां और बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए निगरानी तंत्र तथा मातृ एवं नवजात की मृत्यु दर को कम करने के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक परिवहन तंत्र प्रदान करने, यहां तक एयर एंबुलेंस सुविधा से अस्पताल तक पहुंच बनाने, दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहन योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया है। परन्तु अभी भी इस क्षेत्र में विशेष कार्य करने की आवश्यकता बनी हुई है।

लैंगिक और सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड स्वास्थ्य की देखभाल में अवरोध पैदा करते हैं। जीवनभर बालिकाओं और महिलाओं के अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले सामाजिक मानदंडों को दूर करने के लिए जन जागरूकता और सक्षम वातावरण बनाना हमारी प्राथमिक आवश्यकता है।

इसके साथ ही, बेहतर स्वच्छता से ही बेहतर स्वास्थ्य की बात की जा सकती है। जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें घर और विद्यालय के स्तर पर ही उन व्यवस्थाओं तथा संसाधनों को सुनिश्चित कराना होगा जो बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हुए अत्यंत आवश्यक हैं। यहां हम वॉश (डब्ल्यू.ए.एस.एच), जो सीधे तौर पर स्वच्छ जल तथा स्वच्छता से जुड़ा मुद्दा है, की बात कर रहे हैं।

स्वस्थ छात्र–छात्राएं ही अपनी पढ़ाई को पूरा करके अपने परिवार एवं समाज के विकास में योगदान प्रदान कर सकते हैं। यूडाइस की वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 15 लाख विद्यालयों और 18 वर्ष तक की आयु के 26 करोड़ विद्यार्थियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी विद्यालय तंत्र है। ये बच्चे साल में लगभग 260 दिन अर्थात प्रतिदिन सात घंटे विद्यालय में रहते हैं। इसलिए किशोरावस्था व युवावस्था की ओर बढ़ते इन विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बुनियादी संसाधनों का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां

1. विशेष कार्य योजनाओं के माध्यम से जन्म से पूर्व लिंग की पहचान को हतोत्साहित करने के लिए प्री–कंसेप्शन एंड प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडी) एक्ट 1994 के क्रियान्वयन को मजबूत करना और बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समुदायों में जागरूकता अभियान का आयोजन करना। मीडिया के माध्यम से जागरूकता एवं स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए महिला समितियों का गठन करना।

2 बालिकाओं और महिलाओं की पोषण सुरक्षा में वृद्धि के लिए उन तक पहुंच बनाना। विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन तक पोषक तत्वों व पदार्थों के वितरण की सुनिश्चितता।

3. महिलाओं को घरों पर किचन गार्डन में पोषक तत्वों वाली सब्जियों एवं फल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना।

4. महिलाओं को घरों पर जैविक पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों की पैदावार हेतु प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना।

5. महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला एवं युवक मंगल दलों के स्वयंसेवियों तथा इच्छुक युवक–युवतियों को प्रशिक्षण देना।

6. ग्राम एवं वार्ड स्तर पर पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के लिए स्वयंसेवियों के सहयोग से बीज बैंक की स्थापना करना।

7. घरों पर खाद्य पदार्थों की पैदावार में सहयोग, जैविक खाद उपलब्ध कराने वाले प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को निर्धारित शुल्क एवं मानदेय से प्रोत्साहित करना।

8. समय–समय पर प्रतियोगिता के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं एवं प्रशिक्षित स्वयंसेवियों को पुरस्कृत करना।

9. विद्यालय परिसरों में बालिकाओं के लिए पोषक तत्वों वाले आर्गेनिक खाद्य पदार्थों की खेती करना।

10. वेस्ट मैनेजमेंट के अर्न्तगत, घरों एवं मोहल्ला स्तर पर समिति बनाकर वर्मी कम्पोस्ट बनाने को प्रोत्साहन देना।

11. बालिकाओं एवं महिलाओं को रक्त की कमी (एनीमिया) के लक्षणों के बारे में जागरूक करना तथा एनीमिया पर नियंत्रण को अभियान के रूप में लेना।

12. खाद्य पदार्थों के सेवन में लैंगिक असमानता को हतोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक रूप से अभियान चलाना।

13. किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों एवं उनके समाधान के लिए जागरूक बनाना। इन बालिकाओं से स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए उनकी शिक्षिकाओं एवं परिवार की महिलाओं को प्रेरित करना।

14. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को बालिकाओं के महत्व को बताने के साथ–साथ उनको यह समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना कि बालिका का जन्म आर्थिक बोझ एवं सामाजिक चिंता का विषय नहीं है। उनको बालिकाओं की शिक्षा पर पूरा ध्यान देने के लिए प्रेरित करना। बालिकाओं का विवाह निर्धारित आयु से पहले नहीं करने के लिए जागरूक बनाना। इस कार्य में महिला समितियों एवं शिक्षक–शिक्षिकाओं का सहयोग लेना।

15. बालिकाओं के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की औपचारिकताएं विद्यालयों के स्तर से पूरी कराना।

16. विद्यालयों में वॉश सुविधाओं, जिनमें स्वच्छ जल, शौचालय (बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग), शारीरिक स्वच्छता, बालिकाओं के लिए सैनेटरी नैपकीन पैड तथा उनके निस्तारण की व्यवस्था के साथ शौचालयों की स्वच्छता, दूषित जल का प्रबंधन, विद्यालय का कचरा प्रबंधन, विद्यालय में हरित क्षेत्र प्रबंधन सहित अन्य सभी आवश्यक एवं बुनियादी संसाधन एवं सुविधाएं आवश्यक हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए समर्पित वित्त का प्रबंध हो जिसको किसी अन्य मद में खर्च करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए।

17. विद्यालयों में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए सरकारी उपक्रमों, विभिन्न संस्थाओं, विशेषज्ञों की संचालन एवं देखरेख की प्रक्रिया संबंधी संस्तुतियों का एक समन्वित दस्तावेज तैयार किया जाए जो उन बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य हेतु विद्यालय परिसर में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण बनाने में सहयोगी हो, जिसमें ग्राम एवं वार्ड स्तर पर गठित होने वाली प्रस्तावित महिला समितियों का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए जागरूकता का यह अभ्यास विद्यालय परिसर से समाज तक पहुंचेगा जो समुदायों में स्वस्थ वातावरण बनाएगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। वहीं इससे खास तौर पर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के ड्रॉप आउट पर भी रोक लगने की संभावना है।

18. सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को निगरानी में रखना तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रही गर्भवती महिला व उनके तीमारदारों को सुविधाओं एवं संसाधनों वाले अस्पतालों के पास रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और हरिद्वार जैसे जिलों को प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं के 4 या अधिक एएनसी दौरे सुनिश्चित करना।

19. नवजात एवं मातृ मृत्यु दर की अधिकता वाले क्षेत्रों को चिह्नित करना, वहां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए सेवाओं एवं संसाधनों में वृद्धि करना।

20. सुरक्षित गर्भपात और परिवार नियोजन हेतु संवाद के लिए महिला विशेषज्ञों तक पहुंच को आसान बनाना। उनके लिए अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बताने हेतु सक्षम वातावरण का निर्माण करना।

21. यौन संचारित रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए जानकारी और सेवाएं प्रदान करना। एचआईवी से प्रभावित बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं सामाजिक लांछन को दूर करने के लिए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण हेतु जनजागरण अभियान चलाना। प्रशासन के स्तर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराना।

22. अनैतिक चिकित्सा पद्धतियों, जन्म से पूर्व लिंग की पहचान, ज्ञान नहीं होने के बाद भी उपचार और सर्जरी करने की प्रवृत्ति एवं अभ्यास पर रोक लगाना, महिलाओं पर ड्रग ट्रायल एवं किसी तरह के अनुसंधान से उनके शोषण पर सख्ती से कार्रवाई करना।

23. गर्भाशय ग्रीवा और स्तन जैसे प्रजनन अंगों को कैंसर रोग से बचाने के लिए लक्षणों के बारे में बताने, आवश्यक सतर्कता बरतने, उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को सरल बनाने के लिए विशेष अभियान चलाना। स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए शहरी एवं ग्रामीण निकायों में जांच शिविर लगाना।

24. बुजुर्ग महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना।

25. स्वास्थ्य केंद्रों में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, जैसे अलग शौचालय, उपचार हेतु आवश्यक सुरक्षा मानकों की पूर्णता, स्वच्छ जल, हाथ धोने के लिए संसाधनों की उपलब्धता एवं गोपनीयता का ध्यान रखना।

26. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं एवं सुविधाओं की बेहतर निगरानी के साथ–साथ विलेज हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी को सक्षम बनाना। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, जैसे आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक रूप से और सुदृढ़ करने की आवश्यकतां है।

अर्थव्यवस्था- कृषि, वन सम्पदा, रोजगार व असंगठित क्षेत्र में श्रम संगठनात्मक संपत्ति का स्वामित्व

पीएलएफएस 2019–20 (पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे) ने बताया कि उत्तराखंड में महिला (आयु वर्ग 15–59 वर्ष) श्रमबल भागीदारी दर 2011–12 में 36.5 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 31.8 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में पुरुष श्रम शक्ति भागीदारी दर (15–59 वर्ष) 2011–12 में 71.9 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 74.6 प्रतिशत हो गई है। 2019–20 में उत्तराखंड में पुरुष स्थ्च्त राज्य में महिला स्थ्च्त के दोगुने से अधिक था। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में कामकाजी आयु वर्ग में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा श्रम से बाहर हो रहा है।

कृषि

राज्य में 72.9 प्रतिशत महिला श्रमिक मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) में श्रम कर रही हैं, जबकि केवल 36.2 प्रतिशत पुरुष श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। पीएलएफएस 2019–20 के सर्वेक्षण के दौरान सामने आया कि 78.8 प्रतिशत महिलायें स्वरोजगार में लगी हैं जबकि यह प्रतिशत पुरूषों के लिये मात्र 38 प्रतिशत है। साथ ही, नियमित वेतन/वेतनभोगी रोजगार में महिला कामगारों का काफी कम हिस्सा है। स्व–रोजगार की स्थिति के भीतर, महिला कामगारों का एक बड़ा हिस्सा (38 प्रतिशत) घरेलू उद्यम में सहायकों के रूप में काम कर रहा है, जबकि सहायकों के रूप में काम करने वाले पुरुष कामगारों की संख्या मात्र 10 प्रतिशतहिस्सा है। सहायकों को उनके काम के बदले में कोई वेतन या मजदूरी नहीं मिलती है।

उत्तराखंड राज्य की अधिकांश भूमि वनों से आच्छादित और बंजर है, इसलिए कृषि योग्य भूमि 7.41 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल भूमि 56.72 लाख हेक्टेयर का लगभग 14 फीसदी है। खाद्य उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग है। इस वजह से यहां कृषि परिदृश्य एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल तथा देहरादून के मैदानी हिस्सों में उत्पादन अधिक है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम है। हालांकि घाटी क्षेत्र उपजाऊ हैं। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एक दूसरे के विपरीत है। जब मैदानी क्षेत्रों की देश के कृषि विकसित क्षेत्रों से तुलना करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादन काफी छूट जाता है। हरित क्रांति से राज्य का मैदानी क्षेत्रों का कृषि तंत्र अधिक लाभान्वित हुआ है. जबकि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि को नकारा गया है।

चुनौतियों के बाद भी यहां उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, विशेषकर दालों एवं तिलहनों की कृषि में, खेती योग्य बंजर भूमि की उपलब्धता एवं वर्षा जल संचयन गतिविधियों के संरक्षण में अपार संभावनाएं हैं। कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए जैविक खेती, कृषि प्रोद्यौगिकी, कृषि के विविधिकरण, बाजार में मजबूत हस्तक्षेप और कृषि संयंत्रों के प्रयोग से कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने की अच्छी संभावनाएं हैं।

उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर कृषि वर्षा जल पर निर्भर है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं कम हैं। भूमि की जोतें छोटी और टुकड़ों में बिखरी हुई हैं तथा उनमें भी बंजर भूमि ही ज्यादा है। उत्तराखंड में एक तो फसल की पैदावार कम है और साथ में कटाई के बाद फसल के विपणन हेतु प्रभावी व्यवस्था की भी कमी है। इसमें खेतों से फसल का संग्रहण, गोदाम तक परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर बाजार तक पहुंच, मूल्यों की सूचना और अंत में एक कीमत पर विपणन, जिसमें सबसे अधिक किसान का पारिश्रमिक है, शामिल है। इसके अलावा, बागवानी संबंधी सूचनाओं एवं जानकारियों का भी अभाव है जो उपज के उपयुक्त पारिश्रमिक व वैज्ञानिक प्रबंधन को लेकर हैं।[17]

उत्तराखंड में लगभग 65 फीसद आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। उत्तराखंड राज्य में कृषि मिट्टी के भारी कटाव एवं राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम पैदावार से जूझ रही है। कृषि से होने वाली आय परिवार को वर्ष में चार माह से अधिक पोषित नहीं कर सकती है। इस वजह से लगभग प्रत्येक परिवार में राज्य से बाहर जाकर कार्य करने वाले एक या दो सदस्य होते हैं जो परिवार को नियमित रूप से धन भेजते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना है। इस संदर्भ में राज्य में जैविक कृषि को आगे बढ़ाना का एक उपयुक्त विकल्प है, जो एक तरफ किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करेगा वहीं दूसरी तरफ यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। कृषि के लिए अपेक्षित जलवायु विविधता उत्तराखंड को देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में बीजों के नियमित आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रबल बनाती है।[17]

पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुषों के रोजगार के लिए घरों से दूर जाने की वजह से कृषि कार्य में महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कृषि आसान कार्य नहीं है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि में श्रम को कम करने हेतु कृषि प्रौद्योगिकी का योगदान बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य हो रहा है। अधिकतर कृषि प्रौद्योगिकियां उत्पादन में वृद्धि, खेती में लागत कम करने, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने, कृषि संबंधित गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने आदि में सहयोगी रही हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इन प्रौद्योगिकियों का पूरी क्षमता से योगदान तभी हो सकता है, जब सेवा प्रदाता इनको महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। महिलाओं की दिक्कतों को पूरा करने पर केंद्रित कृषि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कुछ समय के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि यह कृषि में लैंगिक असमानता को दूर करने में सहयोगी बनेगी।

साथ ही, मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड अक्सर महिलाओं को कृषि में बाजार से संबंधित भूमिकाओं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और विस्तार कार्य में शामिल होने से रोकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमि, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो तो अन्य लाभों के अलावा, कृषि उपज में 20–30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है, जो कि खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकतर विकासशील देशों में महिलाएं लगभग 60–70 प्रतिशत खाद्य उत्पादन करती हैं। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 50 प्रतिशत खाद्य उत्पादन में महिलाओं का योगदान है। श्रीलंका व भूटान की तुलना में अर्थात क्रमशः 41.5 व 62 फीसदी की तुलना में भारत में 48 फीसदी महिलाएं कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। इन आंकड़ों के बावजूद कृषि में महिलाओं के योगदान को नहीं गिना जाता है और न ही उनको प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है।[18]

उत्तराखंड में जैविक कृषि की अधिक संभावनाएं हैं। जैविक कृषि की बाजार में काफी मांग है, लेकिन उत्पादक को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इसके लिए महिला कृषकों को प्रोद्यौगिकी के साथ ही बाजार में उपज के सही मूल्य की नवीनतम जानकारियां होनी भी आवश्यक है। साथ ही, स्थानीय समुदायों के स्तर पर ही कृषि उपज को बाजार से लिंकेज कराने वाला सशक्त तंत्र स्थापित करके महिला कृषकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

1. लघु एवं सीमांत महिला कृषकों को सामुदायिक इस्तेमाल के लिए प्रोद्यौगिकी एवं उन्नत यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें स्वयं सहायता समूहों या कृषक समूहों के माध्यम से सरकार से प्रदत्त अनुदान पर यंत्रों की खरीद की जाए।
2. कृषि प्रौद्योगिकी को डिजाइन करने के लिए उपयोगकर्ता महिला कृषकों से उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को जाना जाए।

17. https://agriculture.uk.gov.in
18. https://idronline.org/giving-women-farmers-access-to-technology

3. स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि उपज तथा उनसे बने उत्पादों को बाजार से जोड़ा जाए और उपज को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था में विभाग के स्तर से सहयोग किया जाए।

4. प्रत्येक जिले की स्थानीय उपज के आधार पर एनजीओ/सीएलओ की साझेदारी में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों पर विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम तैयार और निष्पादित किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार द्वारा सभी प्रकार का सहयोग और लिंकेज की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

5. ग्राम पंचायत के स्तर पर उन्नत बीजों के लिए बैंकों की स्थापना।

6. कृषि क्षेत्र की अद्यतन सूचनाएं (राज्य एवं केंद्र सरकार तथा बैंक की विभिन्न योजनाएं आदि), तकनीकी ज्ञान प्रदान करने तथा उनकी समस्याओं व सुझावों को जानने के लिए महिला कृषकों से संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद बहुत अधिक तकनीकी होने की बजाय सरल भाषा में स्थानीय बोली में होना आवश्यक है। इसमें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, कृषि वैज्ञानिकों के शिविर जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

7. जैविक कृषि के तरीके बताने और जैविक कम्पोस्ट बनाने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिये।

8. कौशल विकास का प्रशिक्षण कृषि क्षेत्र में ही हो। प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को प्रशिक्षित करने तथा किन्हीं समस्याओं के समाधान पर बातचीत करने वाली टीम में महिलाएं ही हों, क्योंकि इससे महिला कृषक संवाद करने में ज्यादा सहज होंगी।

9. पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले जैविक उत्पादों को खुला बेचने के बजाय ब्लॉक स्तर पर ही प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग की व्यवस्था करके इस कार्य में स्थानीय महिलाओं को रोजगार दिया जाए। इससे उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार कृषक को होगा। संबंधित विभाग के स्तर पर उत्पाद की गुणवत्ता की जांच की व्यवस्था की जाए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैविक के साथ ही प्रदेश में उत्पादित अन्य खाद्य एवं पेय उत्पादों की बिक्री राज्य सरकार से संबद्ध व्यावसायिक उपक्रमों, जैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम के होटलों, रेस्त्रां, अतिथि गृहों तथा अन्य विभागों के राजकीय अतिथि गृहों में कराने की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए। राज्य सरकार के अधीन आयोजित होने वाले समारोहों में खानपान के लिए इनकी खरीद को अनिवार्य किया जाए।

10. कृषि, बागवानी विभाग के साथ महिला एवं बाल विकास परियोजना निदेशालय समन्वित रूप से कौथिग या अन्य समारोहों में जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जाएं।

11. महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उगने वाली जड़ी बूटियों तथा औषधीय पौधों की पहचान कराई जाए। इन उत्पादों की खरीद ब्लॉक स्तर पर गठित महिला समूहों के माध्यम से ही कराने की व्यवस्था की जाए तथा इनका मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

12. महिला कृषकों के श्रम को कम करने हेतु उनको पशुओं के लिए चारा घरों के पास ही उगाने को प्रोत्साहित किया जाए। इससे चारे के लिए जंगल जाने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी, वहीं अतिरिक्त श्रम भी नहीं करना पड़ेगा।

13. महिला कृषकों से जुड़े मुद्दों में समन्वय के लिए स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ किया जाए। महिलाएं डेयरी क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य करती हैं, लेकिन डेयरी क्षेत्र में सार्वजनिक संसाधन महिलाओं को प्राथमिकता नहीं देते। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भूमि के स्वामियों, जो कि मुख्य रूप से पुरुष होते हैं, को मिलते हैं। महिलाओं को महिला किसान समूह एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड देकर तथा उनको भूमि पर स्वामित्व के अधिकार को प्रोत्साहित करके इस समस्या से निपटा जा सकता है।

14. कृषि एवं अन्य रोजगारपरक उत्पादन कार्यों से जुड़ी महिलाओं को उपज एवं उत्पाद के बाजार मूल्य की सूचना के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाए।

15. कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर जोर दिया जाए।

16. वर्षा आधारित खेती, फूलों की खेती, मत्स्य पालन की शिक्षा आदि के लिए कम अवधि वाले पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं।

वन संसाधन

उत्तराखंड वन बहुल राज्य है और इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65 फीसद भाग वन भूमि है। प्रदेश का लगभग 45 फीसद हिस्सा पेड़ों से आच्छादित है, जबकि भारत के अधिकतर राज्यों में वन भूमि एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत इससे कहीं

कम है। उत्तराखंड में वन विभाग, वनों के प्रबंधन में स्थानीय जनता को भी शामिल करने के लिए वन पंचायत, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी (एफडीए) और संयुक्त वन प्रबंधन पर काम किया गया है। उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र का 22.22 फीसद भाग संरक्षित है।

उत्तराखंड राज्य में, महिलाएं वन एवं समृद्ध जैव विविधता की प्राथमिक संरक्षक हैं। जबकि वन क्षेत्र की नीति पुरुष प्रधान है और महिलाओं की जरूरतों और हितों की उपेक्षा करती है।

हिमालय औषधीय पादपों एवं पारंपरिक औषधीय ज्ञान से समृद्ध है। अकेले भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ही पादपों की लगभग 18,440 प्रजातियों में से लगभग 45 फीसद में औषधीय गुण होते हैं। उत्तराखंड समृद्ध किस्म की जड़ी–बूटियों और औषधीय एवं सगंधि ात प्रजातियों के पादपों का भंडार है। उत्तराखंड में सगंधित और औषधीय प्रजातियों के पादपों की खेती में वृद्धि हुई है। राज्य में सगंधित पौधों की खेती में लगे किसानों की संख्या 2003–04 में 301 से बढ़कर 2006–2007 में 2714 हो गई है और इस क्षेत्र में दस गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

उत्तराखंड राज्य ने अमूल्य वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड के जंगल को आय का जरिया बनाने के साथ–साथ बिजली उत्पादन का साधन बनाने की भी पहल की है। उत्तराखंड में कुछ समय से चीड़ के जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में चार लाख हेक्टेयर वन भूमि में से 16.36 प्रतिशत में चीड़ के वन हैं। चीड़ की पत्तियां जब तक हरी रहती हैं तब तक तो इन्हें पशुओं के बिछावन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन बाद में इसका उपयोग नहीं हो पाता। गर्मियों से पहले चीड़ की शंक्वाकार पत्तियां गिर जाती हैं, सूखने पर यही पत्तियां पिरूल कहलाती हैं। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में चुनौतियों के बीच समाधान की तलाश करते हुए उत्तराखंड में पिरूल नीति लागू करके चीड़ के वनों को राजस्व का जरिया बनाया है। पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पिरूल से हर साल 150 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। राज्य में विक्रिटिंग और बायो ऑयल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये संयंत्र स्वयंसेवी संस्थाओं, औद्योगिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों और महिला मंगल दलों द्वारा संचालित किए जाएंगे। प्रदेश में ऐसी करीब 6000 इकाइयां स्थापित करने की योजना है।

वन आधारित जैव उत्पादों जैसे– ईंधन के लिए लकड़ी, भोजन, घास, चारा तथा इमारती एवं गैर इमारती काष्ठ में वृद्धि के लिए समुदाय–आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता है। महिला किसान नर्सरी की अवधारणा महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। चीड़ की पत्तियों का संग्रहण भी आजीविका को बढ़ाने तथा वनाग्नि के खतरों को कम करने के लिए प्रभावी विकल्प है। स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में इको टूरिज्म स्थलों का रख–रखाव भी आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

महिलाओं पर ईंधन की लकड़ी, चारा और पानी इकट्ठा करने के साथ ही कृषि के लिए अधिक श्रम करने की जिम्मेदारी है।

वैज्ञानिक ज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक स्वस्थ संबंध होता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक है। वानिकी, वनस्पति विज्ञान, जैव विविधता और पानी के बारे में विशेष जानकारियां महिलाओं को वनों के कटान के विरुद्ध खड़ा करता है।

संस्तुतियां

1. महिलाओं के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित पारंपरिक उपचार एवं देख–रेख के ज्ञान संवर्धन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
2. पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण किया जाए जिनका स्थानीय स्तर पर कृषि एवं बागवानी को बढ़ावा देने में उपयोग किया जाए।
3. सूचनाओं, जानकारियों एवं जागरूकता के लिए सामुदायिक रेडियो का प्रयोग।
4. आजीविका संवर्धन से लेकर सामाजिक एवं आर्थिक जागरूकता के लिए महिलाओं से संबंधित समग्र जानकारियों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का डेटा बेस बनाना।
5. जल प्रबंधन की रणनीति एवं स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. ग्रोथ सेंटर में महिलाओं को रोजगार देना तथा जागरूकता के माध्यम से लोगों को ग्रोथ सेंटर से जोड़ने की मुहिम।
7. वनों के संरक्षण के लिए महिलाओं के नेतृत्व एवं विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के साथ ही उनको लैंगिक भेदभाव के खिलाफ भी

सहयोग प्रदान करना होगा। वनों के संरक्षण एवं उपायों को सुनिश्चित करने के साथ ही समुदायों, जिनमें महिलाओं की प्रभावी भागीदारी भी है, के परामर्श, निर्णयों और कार्यान्वयन को महत्व दिया जाए।

8. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने संबंधी सभी कार्य योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को महत्व दिया जाए।

9. वन संरक्षण की सुनिश्चितता के लिए वन विभाग के स्तर से ग्रामीणों की खेती को जंगली जीवों से संरक्षित किया जाए।

रोजगार असंगठित क्षेत्र में संगठनात्मक श्रम

आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। संगठित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को जाना जा सकता है, परन्तु असंगठित क्षेत्रों में उनकी भागीदारी तथा उनको श्रम के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक का सही आकलन नहीं कर सकते। आर्थिक गतिविधियों में लगे लोगों में महिलाओं की संख्या आधे से थोड़ा कम है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में उनके योगदान को उनकी क्षमता से बहुत कम आंका गया है।

दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने इस तथ्य को माना है कि दुनियाभर में भूमि मालिकों में महिलाएं केवल 20 फीसद ही हैं। ग्रामीण महिलाएं कृषि, खाद्य सुरक्षा और भूमि व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन मे बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन फिर भी वे भेदभाव का सामना करती हैं और गरीबी में जीवन यापन करती हैं। दुनियाभर की आबादी की लगभग एक चौथाई ग्रामीण महिला किसान, दिहाड़ी मजदूर और छोटे कारोबारी हैं। ग्रामीण इलाकों में आय के मामले में असमानता की खाई 40 प्रतिशत अधिक है, जिसका मतलब हुआ कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आमदनी काफी कम है। वहीं श्रम शक्ति में लैंगिक असमानता की खाई को वर्ष 2025 तक 25 फीसद कम करने से ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।[19]

अगर ग्रामीण महिलाओं को कृषि संपदा, शिक्षा और बाजार की उपलब्धता में समान रूप से भागीदारी का अवसर मिले तो दुनियाभर में भुखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या में 10 से 15 करोड़ तक की कमी लाई जा सकती है। कोविड–19 महामारी के दौर में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आधी से ज्यादा संख्या प्रभावित हुई है।[20]

जब हम असंगठित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रही महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई सशक्त निगरानी तंत्र नहीं है जिसके सहयोग से हम उनकी स्थिति का स्पष्ट आकलन कर सकें। खासकर उन महिलाओं के संदर्भ में, जो व्यक्तिगत रूप से घरों तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विधिसम्मत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इनमें घरों में कार्य करना, बच्चों को पढ़ाना, आर्ट एवं क्राफ्ट जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी, मोहल्लों एवं बाजारों में कम पूंजी से दुकानों का संचालन करना, कपड़ों की सिलाई करना, भवनों के निर्माण में मजदूरी करना, कबाड़ चुनना, दुकानों एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करना, भोजनालयों, रेस्त्रां या ढाबों पर सेवाएं देना, निजी विद्यालयों में शिक्षण या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग करना, खेतों में कार्य करना... आदि शामिल हैं। इन सभी कार्यों तथा इनमें योगदान देने वाली महिलाओं को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। साथ ही, श्रम के बदले पारिश्रमिक के समाधान के साथ ही हमारे लिए उन प्रावधान पर भी विचार करना अत्यंत आवश्यक है जो इस सेवा क्षेत्र को सम्मान व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हों। किसी भी विधिसम्मत व्यवसाय या सेवाओं को सम्मान का अधिकार है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत जीविकोपार्जन के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करे। राज्यों के लिए इन सेवाओं और कार्यों को सूचीबद्ध करने के साथ ही इनमें योगदान प्रदान कर रही महिलाओं के साथ पुरुषों का भी अनिवार्य रूप से डाटा बेस तैयार करना होगा। इससे निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्न यह उठता है कि वह किस प्रकार का तंत्र हो सकता है जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहीं महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं–

1. महिलाओं द्वारा असंगठित रूप से प्रदान की जा रही विधिसम्मत सेवाओं और कार्यों को सूचीबद्ध करना।

2. विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं घरों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाओं को चिह्नित/पंजीकृत करना।

3. संबंधित सेवाओं और कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की कार्यशालाओं का आयोजन करना।

4. कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने वाली महिलाओं को संबंधित सेवाओं एवं कार्यों में पंजीकृत करना।

6. आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत सेवा क्षेत्रों को राज्य सरकार के स्तर से प्रमाणित करना।

19. https://www.actionaidindia.org/publications/the-charter-of-women-workers-an-agenda-for-change-for-women-in-the-informal-economy
20. https://www.actionaidindia.org/publications/the-charter-of-women-workers-an-agenda-for-change-for-women-in-the-informal-economy

7. महिलाओं की सेवाओं और कार्यों को स्पष्ट करने वाले मानकों का निर्धारण।

8. सेवाओं और कार्यों को संपन्न कराने के लिए महिलाओं हेतु सुविधाओं और संसाधनों का निर्धारण।

9. महिलाओं के प्रति सेवाएं प्राप्त करने वालों के कर्तव्यों का निर्धारण।

10. महिला उद्यमियों, विशेषकर एकल महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंड की पहुँच को प्राथमिकता देना

11 कामकाजी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए जिला स्तर पर छात्रावासों को सुनिश्चित करना।

12 वीमेन वर्कर चार्टर को अक्षरशः लागू करना, जिसमें महिलाओं को समान वेतन, कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल एवं सुविधाएं, उनके कार्यों को मान्यता देना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, सेवाओं और कार्यों के दौरान होने वाली समस्याओं, शिकायतों को लेकर स्थानीय महिला समितियों के कर्तव्य एवं अधिकारों को सुनिश्चित करना आदि आता है।[21]

निर्णय, भागीदारी एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व

वर्ष 2000 तक महिलाओं की उन्नति एवं उनके प्रति सभी भेदभाव को समाप्त करने के लिए नैरोबी (1985) में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ, जो महिलाओं की उन्नति की प्रक्रिया में समानता के महत्व को दर्शाता है। महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन 4 से 15 सितंबर 1995 तक चीन के बीजिंग में समानता, विकास और शांति के लिए था। बीजिंग मंच का मानना है कि निर्णय लेने में समानता महिलाओं के अधिकारों की उन्नति के साथ अभिन्न है और महिलाओं की समान भागीदारी न केवल सरल न्याय या लोकतंत्र के लिए जरूरी है, बल्कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए एक आवश्यक शर्त भी है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय तथा समानता, विकास और शांति के लिए भी एक आवश्यक और मूलभूत शर्त है।

महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता पर आधारित साझेदारी सतत विकास के लिए एक शर्त है। (यूएन रिजॉल्यूशन 1979) और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (ठच।) दो रणनीतियों की सिफारिश करता है– 1. महिलाओं की समान पहुंच और निर्णय लेने में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना। 2. निर्णय लेने और नेतृत्व में भाग लेने के लिए महिलाओं की क्षमता बढ़ाना।

महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को सशक्तिकरण के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में मापा जाता है। महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित किए बिना राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना विकास के लिए बहुत अहम है। सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम महिलाओं के सशक्तिरण की बात करते हैं तो हम उनके घर और बाहर दोनों स्थानों पर आत्मनिर्भर होकर अपने लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता की संकल्पना करते हैं। हम महिलाओं के अधिकारों और उनकी आत्मनिर्भरता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में समान अवसरों के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर यह लैंगिक भेदभाव को दूर करके महिलाओं को विकास के विभिन्न आयामों में समान रूप से सशक्त करने की अवधारणा पर आधारित है। विकास की प्रक्रिया में महिलाएं निर्णायक के तौर पर अहम भूमिका निभाती हैं।

उत्तराखंड में बड़ी संख्या में महिलाओं को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुना गया है। राज्य के निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसद पद आरक्षित हैं। हालांकि स्थानीय निकायों में निर्वाचित होकर अहम जिम्मेदारियां संभालने के दौरान उनको कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां विभागीय तकनीकी पहलुओं, उनके कार्यों में परिवार के पुरुषों के दखल, उनके प्रति अधीनस्थ पुरुषों का व्यवहार, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तुलना में उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं विभागीय कार्यप्रणाली के ज्ञान में कमी, महिलाओं को लेकर मानसिकता, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास में कमी, बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास नहीं होने, पितृसत्तात्मक परिवार, महिलाओं के लिए प्रचलित प्रथाएं, लैंगिक मतभेद आदि से संबंधित हो सकती हैं।

विशेषरूप से ग्रामीण निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को परिवार के पुरुषों पर निर्भर होते देखा गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन, समन्वय एवं व्यक्तित्व विकास लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सकारात्मक पहल होगी, वहीं यह उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी प्रदर्शित करेगी।

क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां

1. वार्ड से लेकर राज्य स्तर तक सभी राजनीतिक पदों पर महिलाओं के लिए 50 फीसद आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।

21. https://www.actionaidindia.org/publications/the-charter-of-women-workers-an-agenda-for-change-for-women-in-the-informal-economy

2. स्थानीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं एवं समितियों द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक एवं शासकीय गतिविधियों में भागीदारी से विविध पहलुओं पर ज्ञान संवर्धन की पहल।

3. ग्राम पंचायतों के स्तर पर महिला सभाओं का आयोजन एवं इनमें भागीदारी के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना। इन सभाओं में बालिकाओं एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना एवं उनके सुझावों एवं विचारों को जानना।

4. समाज में सक्रिय योगदान, प्रभावपूर्ण राजनीतिक भागीदारी, विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों तथा समुदायों में नेतृत्व के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन।

5. स्थानीय निकायों में लैंगिक संवेदनशीलता को महत्व देना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है।

6. स्थानीय निकायों में किसी भी ऐसे औपचारिक एवं अनौपचारिक नियम–उपनियम में संशोधन करना, जो किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा देता हो या महिलाओं को किसी गतिविधि में प्रभावी रूप से शामिल होने से रोकता हो।

7. पहले से मौजूद समुदाय आधारित निर्णय प्रक्रिया या उनसे जुड़े संस्थान एवं ढांचों में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना।

8. विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए महिलाओं को विशिष्ट सम्मान से प्रोत्साहित करना।

9. व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे बेहतर माध्यम विद्यालय व महाविद्यालय हैं, वहां उनको पढ़ाई के साथ, उन सभी गतिविधियों में प्रमुखता से शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए जो नेतृत्व, समन्वय एवं प्रबंधन पर आधारित हों। जैसे विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर होने वाले समारोहों के आयोजन की जिम्मेदारी या समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा का अवसर प्रदान करना।

10. ग्रामीण एवं शहरी निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सार्वभौमिक रूप से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट मॉड्यूल्स विकसित करना, साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को उसमें आवश्यक रूप से सम्मिलित करना।

महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध- सुरक्षा, बचाव एवं संरक्षण

लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा मूलभूत रूप से भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रही मानदंडों, दृष्टिकोणों तथा प्रथाओं पर आधारित है जो हमारे समाज में मौजूद हैं। महिलाएं अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं। कन्या भ्रूण हत्या, कम आयु में विवाह और गर्भावस्था तथा यौन शोषण, घरेलू हिंसा, जबरन वेश्यावृत्ति, तस्करी, दहेज प्रताड़ना, बलात्कार, देखभाल से इनकार और बुजुर्ग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा आदि हिंसा के उदाहरण हैं। सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, लैंगिक, आर्थिक तथा सम्मान से संबंधित हिंसा का सामना करना पड़ता है जो वस्तुतः महिला समानता एवं सशक्तिकरण में बड़ी बाधा है।

सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि महिलाओं को घरों, शैक्षणिक संस्थानों, आश्रय स्थलों और ऐसे स्थानों पर भी हिंसा का सामना करना पड़ता है जो उनके लिए सबसे सुरक्षित माने जाते थे। अक्सर यह देखने में आता है कि महिलाएं छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न, छींटाकशी की घटनाओं की शिकायत नहीं करतीं, जिससे हिंसा करने वालों को बल मिलता है। राज्य विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के हिंसा से संरक्षण को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। महिला एवं बाल विकास तथा गृह विभाग के बीच का समन्वय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य में अंतराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े जिलों सहित अन्य स्थानों पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कार्रवाई करता है। महिला हेल्प लाइन उनको आपात स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। हेल्प डेस्क पर उनके मामलों को सौहार्द्रपूर्ण माहौल में सुना जाता है।

एनएफएचएस 5 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 20–49 वर्ष की आयु की लगभग 7.4 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो गई। जबकि 20–49 वर्ष की आयु के मात्र 2 प्रतिशत पुरूष ऐसे हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पूर्व हुई। भारत में बाल वधुएं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों में निवास करती हैं और उनकी शिक्षा का स्तर भी कम होता है। ये बाल वधुएं प्रायः किशोरावस्था पूरी होने से पहले ही बच्चों को जन्म देती हैं। अनेक बाल वधुओं के पास कम उम्र में ही देखभाल करने के लिए कई बच्चे हो जाते हैं, यहां तक कि कई बाद में शादी करने वाली महिलाओं की तुलना में उनके बड़े परिवार होते हैं।

एनएफएचएस 5 के अनुसार 18–49 वर्ष की आयु में 15.3 प्रतिशत महिलाओं/लड़कियों ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है और 77.6 प्रतिशत मामलों में शारीरिक हिंसा के मामले वर्तमान पति द्वारा किए गए हैं। शारीरिक हिंसा की घटनाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हो रही हैं। शारीरिक हिंसा का सामना करने वाली 28.2 प्रतिशत महिलाएं पति के शराब के सेवन को हिंसा का प्रमुख कारण बताती हैं। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासकीय संरचनाओं में लिंग संवेदनशील रणनीतियों और कार्यों को बढ़ाने तथा व्यापक व्यवस्थाओं को मजबूती से स्थापित करके लड़कियों और महिलाओं को भेदभाव और हिंसा से संरक्षण के लिए प्रभावी कानूनों और प्रावधानों को लागू करने तथा हिंसा के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया हेतु समन्वित तंत्र की स्थापना की रणनीति को कार्यान्वित करना होगा।

क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां

1. बाल संरक्षण की संरचनाओं को मजबूती देकर बालिकाओं को यौन शोषण, छेड़छाड़ व अन्य अपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करना। शैक्षणिक गतिविधियों में बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देना। दिव्यांग बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
2. महिलाओं को हिंसा से संरक्षण के लिए कानूनी अधिकारों एवं उनके लिए स्थापित मंचों का ज्ञान कराने हेतु पाठ्यक्रम।
3. यौन अपराधों की जांच तथा त्वरित कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में जांच अधिकारियों, अभियोजकों एवं न्यायाधीशों की नियुक्तियां, लंबित प्रकरणों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा।
4. विभिन्न कार्यों, इलाज, शिक्षा, विविध सेवाओं के लिए आवागमन करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं सुनिश्चित आवासीय व्यवस्था। राज्य में कार्यरत विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, निजी भवनों, होटल्स, लॉज, होम स्टे योजना से जुड़े भवनों आदि के उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराया एवं सुविधा प्रदान की जा सकती है।
5. मार्गदर्शन, निगरानी और समर्थन करने के लिए गृह विभाग में एक नामित इकाई स्थापित करना।
6. लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा सहित किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकायत पर समयबद्ध जांच की व्यवस्था।
7. साइबर क्राइम से बचने संबंधी सतर्कता एवं जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष अभियान तथा इससे संबंधित शिकायतों पर त्वरित एवं समयबद्ध जांच तथा कार्रवाई।
8. महिलाओं और बालिकाओं के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का व्यापक प्रचार एवं प्रसार।
9. उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया हेतु सशक्त संरचना
10 प्रत्येक जिले में ऐसे संवेदनशील स्थानों की मैपिग की जानी चाहिये जहां बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ में अपराधिक घटनायें होने की संभावना अधिक है । ऐसे स्थानों पर सी सी टी वी कैमरे की व्यवस्था की जानी चाहिये।
11. प्रत्येक जिले में वन स्टाप सेन्टर को सक्रिय रूप से चलाया जाना चाहिये एवं प्रत्येक जिले में जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुये रेस्क्युवैन की व्यवस्था की जानी चाहिये।
12 वन स्टाप सेन्टर जैसी इकाइयों को ग्राम पंचायत स्तर से लिंक किया जाना चाहिये ।वन स्टाप सेन्टर में अनुभवी एवं योग्य मनोसमाजिक परामर्श दताओं की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये।
13. महिलाओं के लिये बनाये गये कानूनों जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 , कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 आदि के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

वातावरण, जलवायु परिवर्तन व अपातकालीन परिस्थितियां

उत्तराखंड में रोजगार के लिए पर्वतीय क्षेत्रों से युवा पलायन कर रहे हैं। जैसे–जैसे अधिक पुरुष आजीविका के विकल्पों की तलाश में पलायन करते हैं, ग्रामीण महिलाओं की कृषि श्रम, बच्चों की देखभाल और सामुदायिक कल्याण के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ महिला सषक्तिकरण की षुरुआत हुई है। महिलाओं से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और घरों व समुदायों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह की अलंकारिक बातों से जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन भी महिलाओं की जिम्मेदारियों की लंबी सूची में जुड़ जाता है। इस तरह के सामाजिक परिवर्तन के लिए ठोस एवं कार्यान्वित हो पाने वाली नीतियों की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन या आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित

पहाड़ के दूरदराज के हिस्सों में रहने वाली वो महिलाएं होती हैं जिनकी संसाधनों व सूचनाओं तक पहुंच नहीं होती या कौशल नहीं होता। क्षमतावान नहीं होने से वो अधिक असुरक्षित हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं की खाद्य–सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाओं को कम आंकने से उनके लिए भूमिधारक के अधिकार की नीतियां और रोजगार नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, 2006 से 2016 के दशक में विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं से जितना नुकसान हुआ, उसमें लगभग एक चौथाई कृषि क्षेत्र में था। महिलाएं खेतों को फसल बोने के लिए तैयार करती हैं, फसल, पानी और जरूरी ईंधन एकत्र करती हैं और पूरे परिवार के भरण–पोषण में टिकाऊ मदद करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जलवायु आपदा से असमानताएं और बढ़ती हैं, जिनके कारण ग्रामीण महिलाएँ व लड़कियाँ और भी ज्यादा पीछे रह जाती हैं। जलवायु संबंधी आपदाओं की हालात में विशेष रूप से महिलाएँ ही ज्यादा नुकसान उठाती हैं।

आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं से अधिक जोखिम में होती हैं, विशेष रूप से जो गरीब और कम आय वाले देशों में निवास करती हैं। इस बात के पुख्ता सुबूत हैं कि आपदाएं महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित करती हैं और लैंगिक असमानताओं को बढ़ाती हैं। आपदा से पहले या बाद में महिलाओं एवं पुरुषों की अपने परिवेश तथा भूमिका, जिम्मेदारियों और संसाधनों को लेकर समझ भिन्न होती है। आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण, अनूकूलन, राहत, बचाव और पुनर्निर्माण में लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण से अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बचाने के साथ ही लिंग समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

कृषि में स्वरोजगार ने आपदा के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव का सामना करने में महिलाओं की मदद की है। संवेदनशीलता के मद्देनजर क्षेत्र की आपदा के लिहाज से महिलाओं के कृषि कौशल को और मजबूत करने तथा इसी क्षेत्र में अधिक आय अर्जित करने के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। इससे आपदाओं में महिलाओं की आर्थिक दिक्कतों को कम करने की दिशा में प्रभावी रूप से सहयोग मिलेगा।

जून 2013 की आपदा में अपने पति को खो देने वालीं कई महिलाएं भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त हैं। इन महिलाओं को राहत और उनके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद के लिए परामर्श कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में जून 2013 की आपदा के बाद आवश्यकता से अधिक राहत पहुंची। मानवीय आधार पर यह अच्छा है, लेकिन वास्तव में यह राहत वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि राहत (मुआवजा) प्रणाली को और अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।[22]

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर आंकड़ों को महिलाओं और पुरुषों के अलग–अलग अनुभवों में देखना होगा, जबकि यह एक निराधार धारणा है कि जलवायु परिवर्तन लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है।

क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियां

1. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भागीदारी के लिए महिलाओं को स्थान प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
2. जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीतियों के निर्धारण में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की दिक्कतों एवं सुझावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वनों के संरक्षण, वन जीवों के संरक्षण एवं वन्य जीवों से महिलाओं की सुरक्षा हेतु उपायों की रूपरेखा बनाने में महिलाओं की भूमिका एंव प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
3. दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की सूचनाओं और संसाधनों तक पहुंच का सरलीकरण। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने लिए विशेष नीति एवं कार्यक्रम।
4. जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से प्रभावित होने वाले चिह्नित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा गरीबी को कम करने के उपाय करना।
5. हिमालयी क्षेत्र में अलग–अलग भौगोलिक एवं जलवायुगत परिस्थितियों में निवास करने वाले लोगों की जरूरतें अलग–अलग हैं। इसके लिए यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन पर अनुभव और प्रतिक्रियाएं आयु, जाति, वर्ग, लिंग और समुदायों में अंतर को स्पष्ट करने वाले कारकों पर परिभाषित होती हैं। इसलिए अलग–अलग आंकड़ें एकत्र करने के लिए उपयुक्त तंत्र की आवश्यकता है। महिलाओं की जरूरतें भी अलग–अलग हैं जिसे ध्यान में रखकर ही नीति, संसाधनों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण होना चाहिए।
6. वनपंचायतों को मजबूती प्रदान की जानी चाहिये एवं इन पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एवं नेतृत्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

22. https://dmmc.uk.gov.in/files/pdf/Gender_issues_in_UK_disaster_on_2013.pdf

अध्याय : 4

उत्तराखंड में एकल महिला

रूपरेखा एवं परिभाषा

एकल महिला कौन हैं, यह सवाल सरकार व महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले समूहों के बीच वाद–विवाद का विषय रहा है। एकल महिला शब्द को सीधे तौर पर महिला की वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में समझा जाता है कि महिला का पति है या नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज में एकल महिला को कुछ इस तरह दर्शाया जाता है कि विवाह नहीं होने की स्थिति में एकल महिला असुरक्षित या सामाजिक व्यवस्थाओं से परे हाशिये पर है। इस स्थिति में एकल महिला के सामने अनेक चुनौतियां होती हैं। उनको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी रूप से गरिमामय व स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करने के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।

एकल महिला शब्द महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों को इंगित करता है जिनमें विधवा, तलाकशुदा, अलग रहने वाली या अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। सामान्य रूप से विधवा को एकल महिला के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसा ही सरकारी योजनाओं और समाज में व्यापक रूप से दिखाई देता है। अधिकांश नीतियां एकल महिला के तौर पर विधवा पर केंद्रित हैं, जबकि एकल महिला की विभिन्न श्रेणियों, जिनमें तलाकशुदा, अलग रहने वालीं, कभी शादी नहीं करने वालीं या जिनके पति लापता हैं आदि भी शामिल हैं जिन पर बहुत कम ध्यान जा पाता है। वर्ष 2011 की जनगणना तक तलाकशुदा और अलग रहने वालीं महिलाओं के बीच अंतर नहीं था। उत्तराखंड में महिलाओं के साथ कार्य करने वाले संगठनों से चर्चा के बाद वे महिलाएं, जिनके पति लापता हैं, की श्रेणी को शामिल किया गया। हालांकि इस श्रेणी में संख्या बहुत कम है।

उत्तराखंड में एकल महिलाओं की स्थिति[23]

2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल महिला आबादी का 8.45 फीसद यानी 4,18,285 एकल महिलाएं हैं। राज्य में कुल एकल महिलाओं में 92.57 फीसद विधवा हैं, जबकि 3.85 फीसद अविवाहित हैं। तलाकशुदा महिलाओं की संख्या कुल एकल महिलाओं का 0.93 फीसद है जो सबसे कम है। वहीं 2.64 फीसद महिलाओं को अलग श्रेणी में दर्शाया गया है। तलहटी के जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों तथा पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में एकल महिलाओं की संख्या अधिक है। पर्वतीय जिलों में अल्मोड़ा में एकल महिलाओं की संख्या अधिक है। यह ध्यान देना होगा कि तलहटी के जिलों में पर्वतीय जिलों की तुलना में लिंगानुपात कम है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अल्मोड़ा जिला में एकल महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल व पिथौरागढ़ का नंबर आता है। वहीं उत्तरकाशी. चंपावत व रुद्रप्रयाग में एकल महिलाओं की संख्या अन्य पर्वतीय जिलों की तुलना में सबसे कम है।

2011 की जनगणना के आंकड़ें बताते हैं कि उत्तराखंड में कुल परिवारों में से 19 फीसद की मुखिया महिलाएं हैं। यहां राष्ट्रीय औसत 13 फीसद से अधिक है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 20.80 फीसद परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जो शहरी क्षेत्र के 15.43 फीसद से ज्यादा है। महिला प्रधान परिवारों की संख्या का प्रतिशत पौड़ी गढ़वाल जिला में सबसे अधिक 34.97 है तथा इसके बाद अल्मोड़ा जिला में 33.28 व टिहरी गढ़वाल जिला में 31.09 फीसद है।

जब हम एकल महिलाओं के लिए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एकल महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक और भेदभाव से मुक्ति, यौन और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सुरक्षा, ि–रु39याक्षा और स्वास्थ्य सहित बुनियादी सेवाओं तक पहुँच, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, संपत्ति और अन्य संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण तथा –रु39याासन और निर्णय लेने में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

23. https://www.actionaidindia.org/publications/how-free-are-single-women

एकल महिलाओं से जुड़े मुद्दे

2011 की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाएं देरी से विवाह कर रही हैं और वैवाहिक रिश्ते तेजी से टूट रहे हैं जिसके कारण वर्तमान में एकल महिलाओं की संख्या काफी है। संख्या बढ़ने के साथ–साथ एकल महिलाओं की चुनौतियां और संघर्ष भी बढ़ रहे हैं। एकल महिला शारीरिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं और इसके अतिरिक्त भेदभाव का सामना करना उनके सामाजिक जीवन की दिनचर्या में शामिल है। इन सब स्थितियों के बाद भी महिला के बारे में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त सूचनाओं व आंकड़ों का सर्वाधिक अभाव है। एकल महिलाओं के जीवन के विविध पहलुओं, चुनौतियों व मुश्किलों की बेहतर समझ के लिए उनसे संबंधित सूचनाएं व आंकड़े प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर अध्ययन की जरूरत है

एकल महिलाओं पर जनसांख्यिकीय आंकड़े 2011 की सामाजिक, आर्थिक तथा जाति जनगणना के साथ ही 2001 व 2011 की जनगण ना में उपलब्ध हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2017 में एकल व्यक्तियों पर तो आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन इनमें एकल पुरुष व एकल महिला के आंकड़ों को अलग–अलग उपलब्ध नहीं कराया गया। जनगणना में एकल महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों जैसे तलाकशुदा, अलग रहने वालीं, अविवाहित और विधवा के बुनियादी जनसांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाया गया है। अलग–अलग श्रेणियों में महिलाओं व पुरुषों के लिए ये जानकारियां दी गई हैं। हालांकि ये जानकारियां जिला स्तर तक ही हैं, इनमें ब्लॉक या तहसील स्तर की सूचना नहीं दी गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, तलाकशुदा और अलग रहने वाली महिलाओं को एक ही श्रेणी में दर्शाया गया है, लेकिन विधवा व अविवाहित के लिए अलग–अलग श्रेणियां हैं

जनगणना में कुछ आंकड़े प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन एकल महिलाओं की सामाजिक स्थिति, संपत्ति, आजीविका, आय या आवश्यक सुविधाओं तक उनकी पहुंच के संबंध में बहुत कम सूचनाएं एकत्र की गई हैं। इस वजह से एकल महिलाओं से संबंधित सरकारी कानून, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में उन पर बहुत कम विचार हुआ है, हालांकि तब भी ये उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

भविष्य में एकल महिलाओं के विभिन्न मुद्दों तथा उनके सशक्तिकरण हेतु कार्य योजना बनाते समय आंकड़ों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस तरह की सूचनाएं व आंकड़े विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और विभागों को एकल महिलाओं पर आधारित परियोजनाओं के विकास के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर एकल महिलाओं की चुनौतियों व मुश्किलों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण संस्तुतियां की जा सकेंगी और इन पर नीतिगत फैसले हो सकेंगे

समुदाय एवं हित धारकों की बात

(1) परिभाषा

एकल महिला शब्द को किसी महिला की वैवाहिक स्थिति तथा पति है या नहीं है के संदर्भ में समझा जाता है। सभी प्रशासनिक, सामाजिक, विधिक और शासन के स्तर पर एकल महिला की परिभाषा को बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि उन महिलाओं की सभी श्रेणियों के बारे में स्थापित भ्रम को दूर किया जा सके जिनके लिए एकल महिला शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर एकल महिलाओं के लिए कार्य करने वाले संगठनों द्वारा स्वीकार किया गया है कि इन श्रेणियों को सार्वभौमिक रूप से सूचीबद्ध किया जाए। जैसे–

- विधवा महिला
- कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला
- परित्यक्त महिला
- कानूनी रूप से अलग होने वाली महिला (उदाहरण के लिए मानसिक और/या शारीरिक प्रताड़ना के बाद अलग हुई)
- 35 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली अविवाहित महिला
- मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त पति, जो आय अर्जन में असमर्थ हो, के साथ रहने वाली महिला
- महिला जिनका पति एक निश्चित अवधि से लापता है (वर्तमान में एकल महिला की परिभाषा में शामिल नहीं है)

(2) भूमि का अधिकार और आवास का अधिकार

पूरे भारत में एकल महिलाओं के लिए सामाजिक अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी संपूर्ण स्थिति में सुधार हेतु स्पश्ट नीति होनी चाहिए। कृषि कार्य करने वाली महिलाओं को विधिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और सामाजिक रूप से किसान के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। जिन महिलाओं के पास भूमि नहीं है उनको भी एक कृषक के रूप में सभी अधिकारों तक पहुंच बनाने का हक होना चाहिए।

(3) आजीविका

- एकल महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जिनमें रोजगार एवं व्यवसाय की योजनाएं भी शामिल हैं, में लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता दी जाए। इन महिलाओं को आजीविका संबंधी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- एकल महिलाओं के हितों के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा की जा रही पहल का भी अनुसरण किया जाना चाहिए।
- एकल महिलाओं को कौशल/क्षमता विकास कार्यक्रमों से सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जोड़ा जाना चाहिए।
- एकल महिलाओं की सभी श्रेणियों के लिए पेंशन योजनाओं को लागू किया जाए। कई मामलों में राज्य सरकारों ने पहले से ही पेंशन योजनाओं को लागू किया है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि तलाकशुदा और अलग रहने वाली महिला, जिनके पति लापता हैं, भी पेंशन प्राप्त करने की पात्र होंगी या नहीं।

इन सभी को भी पेंशन योजना में शामिल किया जाना चाहिए—

- किसी भी श्रेणी की एकल महिलाओं की पेंशन योजनाओं को वयस्क पुत्र होने (या नहीं होने) के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी की एकल महिला के लिए बिना किसी शर्त पर पेंशन की उपलब्धता होनी चाहिए।
- पेंशन को वर्तमान (प्रत्येक छह माह में एक बार) की तुलना में और कम अवधि में नियमित होना चाहिए।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में एकल महिला के लिए पृथक जॉब कार्ड बनाने का प्रावधान होना चाहिए।
- एकल महिला को सरकार की विभिन्न योजनाओं, जिनमें जॉब कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड भी शामिल हैं, तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत ऋण, अनुदान तथा अन्य वित्तीय लाभ की सुनिश्चितता के लिए रणनीति पर कार्य करना चाहिए।
- एकल महिला को सरल प्रक्रिया से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एकल महिलाओं के लिए आवास बनाना बहुत सस्ता एवं सुलभ हो, इसके लिए उनको आवासीय ऋण बहुत कम दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(4) सरकारी योजनाएं और पात्रता

- मनरेगा कार्यक्रम के तहत जॉब आवंटन, निगरानी और सतर्कता समितियों, सहायकों की नियुक्तियों आदि में एकल महिलाओं के लिए आरक्षण निर्धारित होना चाहिए। हालांकि निराश्रित, बुजुर्ग महिलाओं और विशेष परिस्थितियों वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

एकल महिलाओं को लाभान्वित करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है—

- अधिकारों की प्राप्ति के लिए दीर्घ और बोझिल प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए, विशेषकर अकेले रहने वालों या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए।
- सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम) और ग्राम पंचायत या उच्च स्तर पर रोजगारपरक कार्यक्रमों में नियुक्तियों में एकल महिला को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह प्रावधान बहुत स्पष्ट रूप से, आंकड़े विशेष का उल्लेख करते हुए होना चाहिए।

(5) स्वास्थ्य और शिक्षा

- एकल महिलाओं के बच्चों के लिए प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में विशेष प्रावधान सुनिश्चित होने चाहिए। एकल महिलाओं के बच्चों को स्नातक स्तर तक विद्यालय तथा महाविद्यालय के शुल्क में छूट प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण

के रूप में तेलंगाना में एकल महिलाओं के बच्चों को तेलंगाना आवासीय शिक्षण संस्थानों में बिना किसी परीक्षा या लॉटरी प्रणाली के प्रवेश दिया जा रहा है।

- एकल महिलाओं के बच्चों को एक निर्धारित आयु तक स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया जाना चाहिए। साथ ही, एकल महिलाओं के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना सुनिश्चित होनी चाहिए।

(6) आश्रय, सुरक्षा एवं संरक्षण

- एकल महिलाओं के लिए कस्बों एवं शहरों में छात्रावास होने चाहिए जिसमें उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए और दिशा–निर्देशों में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
- संकट के समय महिलाओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन स्थानों पर मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएं आमंत्रित की जाएं।

(7) निर्णयों में भागीदारी

- निर्णय लेने वाले मंचों और प्रक्रियाओं में एकल महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इससे उनके मुद्दों और चुनौतियों तथा उनके विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। इसलिए इनमें एकल महिलाओं की उपस्थिति एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, ग्राम पंचायतों की बैठकों में इसको अनिवार्य बनाना होगा, ताकि एकल महिलाओं की उपस्थिति का विशेष प्रतिशत सुनिश्चित हो सके।
- एकल महिलाओं के कल्याण के लिए अधिक संवेदनशील तथा प्रभावी कानूनों, नियमों एवं योजनाओं के बेहतर निर्धारण के लिए सरकार से नियमित रूप से पैरवी करना आवश्यक है।

(8) जागरूकता और क्षमता विकास

- एकल महिला से जुड़े मिथकों और सांस्कृतिक वर्जनाओं को समाप्त करने के लिए विशेष जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। जागरूकता कार्यक्रमों के लक्ष्यों में सभी प्रमुख समूह– जैसे समाज, पारिवारिक सदस्यों और गैर सरकारी एवं सरकारी कार्यक्रमों के संचालित करने वाली संस्थाएं और पंचायतें हों। स्थानीय नाट्य मंचों और अन्य सुरूचिपूर्ण माध्यमों से भी इन मुद्दों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाए।
- हरियाणा सरकार ने एकल महिला के हित के लिए एक अनोखी पहल की है। एकल महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनके अधिकारों की प्राप्ति में सहयोग के लिए हरियाणा में सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों के समक्ष प्रार्थना की गई कि एकल महिलाओं को चिह्नित करने के लिए महिला पैरा लीगल वालंटियर अपने–अपने जिलों के प्रत्येक गांवों का भ्रमण करें और उनको वे सभी कानूनी सेवाएं प्रदान करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है और विधिक सेवा संस्थाओं तक पहुंच बनाने में उनका सहयोग करें। न्यायाधीशों के समक्ष यह भी प्रार्थना की गई है कि एकल महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इनमें से इच्छुक महिलाओं को पैरा लीगल वालंटियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। यह पहल एक सकारात्मक उदाहरण है जिसका अन्य राज्यों में भी अनुसरण किया जाना चाहिए।
- एकल महिलाओं और अलग–अलग हितधारकों के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इनमें कानूनी मुद्दों, अधिकारों और सरकारी योजनाओं एवं एकल महिलाओं के लिए विभिन्न प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।

(9) तकनीकी का प्रयोग

एकल महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनसे संवाद बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है–

- एकल महिलाओं को समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया जाए तथा उसमें उनका पूर्ण विवरण दर्ज कराया जाए। इसी के साथ–साथ उन्हें मोबाइल एप के प्रयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जाए। यदि कोई महिला एप का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं तो उनकी सहमति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- एप के माध्यम से एकल महिलाओं को उनके लिए सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- एप के माध्यम से एकल महिला जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग से किसी समस्या के निस्तारण के लिए आवेदन कर सकती हैं या किसी आपात स्थिति में मदद मांगी जा सकती है।
- महिलाओं को सुविधाओं एवं सेवाओं वाले विभागों, संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को इस एप के माध्यम से एक मंच पर लाया जाए।

अध्याय : 5

नीति को लागू करने हेतु परिचालन ढांचा

नीतिगत दृष्टिकोण

जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर विचार करते हैं तो हम उनके घर और बाहर दोनों स्थानों पर आत्मनिर्भर होकर अपने लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता की संकल्पना करते हैं। हम महिलाओं के अधिकारों और उनकी आत्मनिर्भरता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में समान अवसरों के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर यह लैंगिक भेदभाव को दूर करके महिलाओं को विकास के विभिन्न आयामों में समान रूप से सशक्त करने की अवधारणा पर आधारित है। नीति क्रियान्वयन के केंद्र में महिलाओं का होना आवश्यक है। स्थानीय निकायों के वार्ड स्तर से जिला व राज्य स्तर तक योजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं का हस्तक्षेप अनिवार्य है, ताकि शहर से लेकर दूरस्थ गांव में भी, महिलाओं की उन सूचनाओं और संसाधनों तक पहुंच को आसान बनाया जा सके जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित एवं आवश्यक हैं। यह नीति इसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी। यह तभी संभव हो सकेगा जब इसमें सरकार के साथ–साथ समुदायों, संस्थाओं और सिविल सोसाइटी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा।

उत्तराखंड में बालिकाओं व महिलाओं के जीवन स्तर और स्थिति में सुधार करने तथा उन पर ज्यादतियां करने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए प्रक्रियाओं, पद्धतियों एवं तंत्रों को गतिशील बनाना तथा उनके समग्र विकास के लिए सहायक वातावरण तैयार करना इस नीति का उद्देश्य है। यह नीति जेंडर आधारित समानता, सामाजिक न्याय देने तथा महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए है। उत्तराखंड राज्य में अलग–अलग जिलों में भौगोलिक, पर्यावरण एवं सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियां भिन्न–भिन्न हैं, इसलिए यहां रहने वाले लोगों की आजीविका के स्रोत, रहन–सहन, खानपान तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण का यह नीति समर्थन करती है। यह महिलाओं को घर–परिवार एवं समाज में उनकी भूमिका को मान्यता देने के साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता के मद्देनजर राज्य एवं केंद्र सरकारों की योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिष्चित करने के लिए मजबूत एवं पारदर्शी व्यवस्था की संरचना की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति में एकल महिलाओं के समक्ष चुनौतियों एवं उनकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिलाया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं में कुपोषण, अस्वस्थता, रक्त अल्पतता से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन के प्रत्येक चरण की आवश्यकताओं को मान्यता दी गई है।

उत्तराखंड में बालिकाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से शिक्षित करने के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में प्रदत्त प्रावधानों को पूरे मनोयोग एवं संसाधनों के साथ लागू करने की पैरवी की गई है। महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े मुद्दों पर कार्यों के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को समन्वित मंच पर लाना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जेंडर संवेदनशील बनाना, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण तथा उपयुक्त तंत्र सृजित करना तथा राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं एवं मीडिया को संवेदनशील बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।

घर और सार्वजनिक भूमिका में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता एवं राजनीति में उनकी भागीदारी को सशक्त करना, सामुदायिक कार्यों में उनके नेतृत्व तथा विकास की गतिविधियों में सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं व संगठनों तक महिलाओं की पहुँच को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

समान अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था से अभिप्रेरित यह नीति महिलाओं के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। महिला दशक (1975–85) की अवधि में महिला विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और सरकार महिलाओं को निष्क्रिय लाभग्राही न मानकर उनको सशक्त बनाने की ओर उन्मुख हुई। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध सब प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दिसम्बर, 1979 के समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय संविधान की मूल भावना की पुष्टि करता है। यह नीति दस्तावेज इस समझौते की अधिकार–परक परिप्रेक्ष्य की भावना पर आधारित है।

इस नीति में महिलाओं के जीवन, उत्तरजीविता, आजीविका के साधनों, आश्रय एवं मूलभूत आवश्यकताओं, समान कार्य के लिए समान वेतन, भेदभाव रहित वातावरण तथा कामकाजी महिलाओं के लिए बाल रक्षा सेवाओं हेतु सह–प्रतिबद्धता, प्राकृतिक संसाधनों एवं

सामान्य सम्पत्ति संसाधनों तक पहुंच तथा शिक्षा, सूचना, कौशल विकास एवं ज्ञान के अन्य साधनों का अधिकार आदि शामिल है। साथ ही, संसाधनहीन महिलाओं के लिए विधिक सहायता सहित विधिक एवं सामाजिक न्याय का अधिकार, सभी समुदायों एवं जातियों की महिलाओं के लिए भेदभाव रहित वैयक्तिक कानून, सार्वजनिक स्थानों, संस्थाओं एवं रोजगार के लिए समान पहुँच तथा राजनीतिक, प्रशासनिक एवं शासन की सामाजिक संस्थाओं में समान भागीदारी का अधिकार दिलाना उद्देश्य है।

नीति के क्रियान्वयन की रणनीति

महिलाओं को वार्ड स्तर से राज्य स्तर तक सक्षम बनाने हेतु व्यवस्था

जब हम किसी नागरिक के विधिक अधिकारों और उनके लिए योजनाओं व कार्यक्रमों की बात करते हैं तो उस प्रक्रिया को भी उनके अनुकूल बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से वे अधिकारों का विधिसम्मत इस्तेमाल करने के साथ–साथ योजनाओं व कार्यक्रमों से भी लाभान्वित हो सकें। इन प्रक्रियाओं के पालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक तंत्र की संरचना भी अत्यंत आवश्यक है। विधिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में क्या किया जाना चाहिए, किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। विशेषकर, जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं तो उनके संरक्षण के लिए प्रदत्त संसदीय व्यवस्थाओं का अनुपालन राज्य में शासन से लेकर सबसे निचले पायदान पर कार्यरत तंत्र के लिए अत्यंत अनिवार्य है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी है।

प्रश्न यह उठता है कि स्थानीय निकाय से लेकर शासन स्तर तक पूरा तंत्र किस प्रकार सुनियोजित हो? इसमें राज्य सरकार, शासन, विभिन्न विभाग, स्थानीय निकाय तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या होनी चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया को उद्देश्यपरक बनाने के लिए किन नियमों का निर्धारण किया जाए? साथ ही, पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध तथा जवाबदेह बनाने के लिए किन मानकों व व्यवस्थाओं को अमल में लाया जाना चाहिए? वहीं लाभार्थी महिला की इस प्रभावी तंत्र तक पहुंच बनाने तथा उनको संसदीय व्यवस्थाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों का भागीदार बनाने के लिए शिक्षा, सूचना व संवाद से जोड़ने के माध्यमों के निर्धारण पर भी प्रभावी रूप से कार्य करना होगा। इस प्रभावी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विश्वस्त प्रतिनिधियों के चयन के मानक क्या होंगे व प्रक्रिया क्या होगी?

राज्य सरकार के विभागों का समन्वित मंच

ग्राम्य विकास, पंचायत राज विभाग, शहरी विकास, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि एवं बागवानी विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, शिक्षा विभाग, पेंशन एवं कोषागार विभाग, सूचना विभाग.. जिन्हें भी राज्य सरकार उपयुक्त मानती है, आदि के समन्वित मंच का गठन, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। महिलाओं से संबंधित सभी सूचनाएं, कार्यक्रम एवं योजनाएं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हों, को हर स्तर ही महिला संरक्षण समितियों तक पहुंचाया जाएगा।

स्थानीय से शासन स्तर तक तंत्र का ढांचा

स्थानीय निकाय स्तर पर महिला संरक्षण समिति का गठन एवं गठन के नियम–

स्थानीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में अनिवार्य रूप से न्यूनतम नौ तथा अधिकतम दस सदस्यों वाली वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों में भागीदारी के लिए अर्हता तथा चयन के नियम इस प्रकार हैं–

1. वार्ड समिति में संबंधित ग्राम पंचायत सदस्य/शहरी निकाय के सदस्य ध्सभासदध्पार्षदध्महापौर अनिवार्य रूप से पदेन सचिव होंगे।
2. वार्ड में संचालित महिलाओं के स्वयं सहायता समूह तथा महिला मंगल दल से चयनित एक सदस्य। संबंधित स्वयं सहायता समूह एवं महिला मंगल दल के सभी सदस्यों में से लॉटरी के माध्यम से एक महिला सदस्य का चयन होगा।
3. वार्ड में कम से कम पांच वर्ष से निवास करने वाली विधवा ध वृद्धा ध विकलांग ध समाज कल्याण विभाग से पेंशन धारक महिला, जिनका चयन पेंशन प्राप्त करने की अधिकतम अवधि के आधार पर होगा। लाभार्थी किसी राजनीतिक पद ध सरकारी विभाग ध राजकीय उपक्रम में स्थाई ध संविदा ध दैनिक वेतन भोगी पद पर तैनात नहीं हों।
4. वार्ड में निवासरत बीपीएल परिवार से संबंधित अनुसूचित जाति ध अनुसूचित जनजाति ध पिछड़ा वर्ग की महिला सदस्य, जो सरकार की किसी भी योजना की लाभार्थी हों, जिनका चयन योजना का लाभ प्राप्त करने की अधिकतम अवधि के आधार पर होगा। किसी

विवाद की स्थिति में इच्छुक लाभार्थियों में किसी एक सदस्य का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। सदस्य बनने की इच्छुक महिला एक वर्ष से किसी राजनीतिक पद ६ सरकारी विभाग ६ राजकीय उपक्रम में स्थाई ६ संविदा ६ दैनिक वेतन भोगी पद पर तैनात नहीं होनी चाहिए।

5. वार्ड में निवासरत सैन्य ६ अद्र्ध सैन्य बलों में तैनात रहे शहीद की विधवा। यदि संबंधित वार्ड में इस वर्ग में कोई महिला नहीं हैं तो उनके स्थान पर सैन्य ६ अद्र्ध सैन्य बलों से अवकाश प्राप्त महिला या पुरुष को शामिल किया जाए।
6. महिला मीडिया कर्मी, यदि क्षेत्र में महिला मीडिया कर्मी नहीं हैं तो किसी पुरुष मीडिया कर्मी को भी समिति का सदस्य बनाया जाए, जो कम से कम पांच वर्ष तक नियमित रूप से कार्य करते रहे हों परन्तु किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हों।
7. स्थानीय निकाय के पुलिस थाना में तैनात बीट पुलिस अधिकारी।
8. महिला अधिवक्ता, यदि क्षेत्र में महिला अधिवक्ता नहीं हैं तो पुरुष अधिवक्ता, जो कम से कम पांच वर्ष तक नियमित रूप से कार्य कर रहे हों, परन्तु किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हों।
9. स्थानीय राजस्व अधिकारी, स्थानीय निकाय का अधिकारी, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ता तथा संबंधित वार्ड में तैनात राजकीय विद्यालय की शिक्षिका में से न्यूनतम एक तथा अधिकतम दो सदस्य।

इन सदस्यों के चयन का अधिकार संबंधित स्थानीय निकाय में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी को होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी तथा शहरी निकायों में संबंधित अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी या नगर आयुक्त समितियों के चयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थानीय निकाय (शहरी व ग्रामीण) क्षेत्र स्तर पर समिति का गठन-

शहरी तथा ग्रामीण वार्ड स्तर से चयनित समितियों को यह अधिकार होगा कि वे समिति में शामिल किसी एक महिला को निकाय स्तर पर चयन के लिए मनोनीत करें। किसी भी विवाद की स्थिति में चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। यह बात पूर्ण रूप से संज्ञान में रखी जाए कि निकाय स्तर की समिति के लिए महिला सदस्य को ही मनोनीत किया जाए। पदेन सचिव महिला होने की स्थिति में ही लॉटरी में प्रतिभाग कर सकती हैं। लॉटरी में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी प्रतिभाग नहीं कर सकते। एक वार्ड से अधिकतम एक सदस्य का चयन होगा।

ग्राम पंचायत या शहरी निकाय स्तर पर गठित समिति के पदेन सचिव संबंधित ग्राम्य विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी या नगर आयुक्त होंगे। समिति में सदस्यों की संख्या संबंधित निकाय में वार्ड की संख्या पर निर्भर करेगी। यानी जितने वार्ड उतने सदस्य। इस समिति में पदेन सचिव का पद अतिरिक्त होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों से चयनित एक–एक महिला सदस्य न्याय पंचायत स्तरीय समिति का गठन करेंगी, जिनका पदेन सचिव उस क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ ग्राम्य विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी या सहायक समाज कल्याण अधिकारी होंगे या जिनको भी संबंधित खंड विकास अधिकारी नियुक्त करें।

इसी प्रकार, न्याय पंचायत स्तरीय समिति से ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिनका पदेन सचिव उस ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय समिति में संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय महिला एवं बाल विकास अधिकारी को शामिल किया जाए।

खंड विकास स्तर पर गठित समितियों से जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। जिला स्तर के लिए समिति के सदस्यों का चयन भी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी में किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। समिति में उतने ही सदस्य होंगे, जितने संबंधित जिला में विकास खंडों की संख्या है।

जिला स्तरीय समिति के सचिव संबंधित जिला विकास अधिकारी होंगे। जिला स्तरीय समिति में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी आदि को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। जिला स्तरीय महिला समिति के पदेन अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी होंगे।

इसी प्रकार शहरी निकायों की जिला स्तरीय समिति में निकायों के अधिशासी अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। शहरी निकायों के लिए जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे।

प्रदेश स्तरीय व्यवस्था के तहत महिला एवं बाल विकास सचिव के स्तर से सभी शिकायतों, समस्याओं या आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर पर किसी भी लंबित मामले के लिए सीधे तौर पर शहरी क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य विकास अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदेश स्तरीय समिति में सभी जिलों से एक–एक महिला, का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस समिति के पदेन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक तथा पदेन अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव होंगे। समिति की प्रत्येक माह होने वाली बैठक में समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ग्राम्य विकास, शहरी विकास, पंचायती राज विभाग के निदेशकों या सचिवों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समितियों का कार्यकाल

वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक की समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। पदेन सचिव को छोड़कर अन्य सभी वैसे सदस्य, जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं, का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने तक अगली समिति का चयन एक माह पूर्व अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी स्तर की महिला समिति में एक बार सदस्य रह चुकीं महिला को किसी भी दशा में पुनः समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता।

समितियों की बैठक और नियम

1. हर स्तर पर समितियों की बैठकें अलग–अलग कार्य दिवसों में प्रत्येक माह होंगी। बैठक प्रत्येक माह के पहले या दूसरे किसी कार्य दिवस के अनुसार तय की जाए। अवकाश होने की स्थिति में बैठक अवकाश के अगले दिन के कार्य दिवस में आयोजित की जाए। किसी निकाय में अधिक वार्ड होने की स्थिति में बैठकों का आयोजन वार्ड संख्या के आधार पर रोस्टर में किया जाए। किसी भी स्थिति में 20 से अधिक वार्ड की बैठक न हो।
2. आपात स्थिति में बैठक अवकाश में भी आयोजित की जा सकती है।
3. बैठक में महिलाओं से प्राप्त प्रार्थना पत्रों, उनके आवेदनों तथा अन्य किसी प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी। किसी आपात स्थिति में हुई कार्रवाई पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।
4. उच्चस्तरीय समिति में प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सदस्य बैठकों में अपने वार्ड से संबंधित आवेदनों या शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से लिखित में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगी।
5. समितियों को यह अधिकार होगा कि महिलाओं की शिकायतों के ग्राम स्तर पर सलाह, सहायता या काउंसलिंग से मामलों का निस्तारण कर सकेंगी, परन्तु ये मामले किसी भी तरह की अपराधिक गतिविधि के नहीं होने चाहिए। समिति अपने स्तर से किसी मामले का निस्तारण करती है तो उसकी पूरी कार्यवाही को कार्यवाही पंजिका में दर्ज करना आवश्यक होगा।
6. समिति की बैठक सचिव के अतिरिक्त अन्य सदस्यों में से किसी एक की अध्यक्षता में हो सकती है। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अलग–अलग महिलाओं द्वारा किए जाने की व्यवस्था होगी।
7. बैठक के लिए दो तिहाई सदस्यों का कोरम होना अत्यंत आवश्यक है। कोरम के लिए आवश्यक इस संख्या में विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
8. समिति की बैठक किसी सरकारी भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी भवन या सार्वजनिक भवन आदि में आयोजित की जाए।
9. बैठक में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा। स्थानीय निकाय तथा वार्ड स्तरीय बैठकों के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानीय निकाय से बाहर होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए केवल यात्रा भत्ता ही देय होगा। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र के लिए बैठक की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है।
10. वार्ड से लेकर जिला स्तरीय बैठक में शामिल होने वाली महिला सदस्यों को किन्हीं दो बैठकों में शामिल होने से छूट प्राप्त होगी, परन्तु उनको अपने वार्ड तथा जिला स्तरीय बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। किसी अपरिहार्य स्थिति में उनके स्थान पर संबंधित वार्ड में समिति के पदेन सचिव को बैठक में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

11. बैठक की सूचना से सभी सदस्यों को अवगत कराने की जिम्मेदारी पदेन सचिव की होगी।

12. पदेन सचिव और जिला स्तर पर वार्ड समिति का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सदस्य समिति की सभी कार्यवाही का ब्योरा सुरक्षित रहेगा। वार्ड स्तरीय महिला समितियां बैठक की सूचना से संबंधित स्थानीय निकाय के पदासीन अधिकारी के कार्यालय को अवगत कराएंगी। इस तरह यह सूचना जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक पहुंचाई जाएंगी।

समितियों के अधिकार

1. समिति में सचिव के अलावा सभी पदनाम सदस्य होंगे। राज्य से लेकर निकाय के वार्ड स्तर तक सभी सदस्यों के समान अधिकार और कर्तव्य होंगे, परन्तु उनके अधिकार क्षेत्र अलग हो सकते हैं।

2. सदस्यों को अपने से उच्च स्तरीय समितियों में अपने अधिकार क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का अधिकार। अपने अधिकार वाले क्षेत्रों की वस्तु स्थिति से अवगत कराना।

3. स्थानीय निकाय (ग्रामीण एवं शहरी) के स्तरीय महिला समितियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों से लिखित में जवाब मांगने का अधिकार होगा, परन्तु इसके लिए समिति की बैठक में दर्ज उपस्थिति के दो तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। इन दो तिहाई सदस्यों में सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के लिए सूचना मिलने के दस दिन के भीतर समिति के पदेन सचिव के माध्यम से महिला समिति के समक्ष जवाब देना अनिवार्य होगा। समिति के पदेन सचिव का यह कर्तव्य है कि प्राप्त जवाब से उस शिकायतकर्ता को अवगत कराएं। समिति की अगली बैठक में इस जवाब को अनिवार्य रूप से कार्यवाही का हिस्सा बनाया जाएगा।

4. समितियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के कार्यों के आधार पर संतोषजनक या असंतोषजनक संस्तुति को पारित करने का अधिकार। समिति का यह निर्णय सदस्यों की संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होगा। इसमें विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों की सहमति अथवा असहमति को शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तु समिति के लिए यह बताना अनिवार्य होगा कि समिति ने किस कार्य में समयबद्धता, पारदर्शिता, अनुशासन, सतर्कता, सजगता का ध्यान नहीं रखने पर प्रतिकूल संस्तुति की है।

5. यदि समिति को यह संशय हो जाए कि किसी ने किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में भ्रम पैदा करने या उनके कार्य में बाधा डालने या उनको अनावश्यक परेशान करने के लिए शिकायत की है कि तो समिति इस मामले की जांच करने के लिए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी से उच्चाधिकारी को समयबद्ध जांच कराने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। समिति के इस प्रस्ताव पर कार्रवाई संबंधी सूचना को आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह का प्रस्ताव पारित करने के लिए समिति के दो तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी।

6. राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के लिए किसी भी योजना या कार्यक्रम हेतु वार्ड से राज्य स्तर तक की समितियों का सुझाव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह सुझाव राज्य स्तरीय समिति प्रस्तुत करेगी, परन्तु राज्य स्तरीय समिति को वार्ड स्तर से ही सुझावों को एकत्रित करना होगा।

नीति लागू करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था

महिलाओं के संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्य कर रहे विभागों के कुल बजट का 0.25 फीसद संरक्षण समितियों पर व्यय करने का प्रस्ताव है। जेंडर बजट की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा तथा इससे प्रस्तावित सभी कार्यों को सूचीबद्ध करना होगा। समितियों को उनके कार्य क्षेत्र में होने वाले सीएसआर कार्यों के कुल लागत की एक फीसद राषि राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होगी। इस धनराशि का 25 फीसद या 50 हजार रुपये या इनमें से जो भी न्यूनतम होगा वह मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। यहां समिति के सदस्यों का आशय समिति में शामिल सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नहीं है। मानदेय प्राप्त करने वाले समिति के लिए योगदान आख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और योगदान आख्या के बाद ही उनके खातों में धन आहरित किया जाएगा।

हितधारकों के प्रति जवाबदेही

महिला संरक्षण समितियों के संदर्भ में हितधारकों में मुख्यतः समुदाय, सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं आदि की भूमिका तथा इनके प्रति समितियों की जवाबदेही को भी रेखांकित किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत वार्ड/शहरी निकाय स्तरीय समितियां उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित की जाएंगी जिनको विशेषकर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य

में नियोजित किया गया है। हालांकि यह लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है तथा उद्देश्यों की पूर्ति में पुरुषों की भूमिका को भी महत्व देती हैं। समितियों के पास केवल महिलाओं से संबंधित सेवाओं का अधिकार होगा। समितियां निम्न कार्यों एवं सेवाओं के लिए जवाबदेह होंगी–

समुदायों के प्रति जवाबदेही

1. महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी शिकायत अथवा समस्या के निस्तारण तथा आवेदन संबंधी पत्र को संबंधित विभाग तक पहुंचाने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कराने में सहयोग की जिम्मेदारी, पीड़ित के विश्वास तथा निजता का सम्मान करना तथा किसी भी आपात स्थिति में संबंधित विभाग के लिए निर्धारित नोडल अधिकारी तक सूचना पहुंचाना। इस कार्य के लिए समिति की सदस्यों को तकनीकी सूचना माध्यमों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
2. महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं या कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों को समन्वित मंच के सहयोग से जागरूक बनाना तथा योजनाओं से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कराने में सहयोग करना। इसी के साथ–साथ समन्वित मंच का यह भी कर्तव्य है कि सरकार की योजना, नियम, अधिनियम या कार्यक्रमों के लिए महिला संरक्षण समितियों को प्रशिक्षित करे और जिले से वार्ड स्तर तक विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों की सूचना, उसकी प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन को लेकर सेतु के रूप में कार्य करने में उनको सहयोग प्रदान करे।
3. अनिवार्य मासिक बैठकों में सभी शिकायतों या समस्याओं से संबंधित पत्रों, आपात स्थिति में हुई कार्रवाई तथा प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की जिम्मेदारी।
4. अधिकार क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, आजीविका उपार्जन, स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण, विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग तथा हिंसा से संरक्षण में सहयोग की जिम्मेदारी।
5. समितियां निम्न विषयों में भी सहयोग के लिए जवाबदेह होंगी–
   (I) घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, साइबर सहित विभिन्न अपराधिक गतिविधियों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर।
   (II) कानूनी अधिकारों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने पर।
   (III) आजीविका उपार्जन, आत्मनिर्भरता संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा पेंशन सहित समाज कल्याण एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर।
   (IV) बैंकिंग सेवाएं मिलने में बाधा पहुंचने, केंद्रीय एवं राज्य सरकार की रोजगार/स्वरोजगार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों तक पहुंच नहीं होने पर।
   (V) राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं पर कार्रवाई नहीं होने पर।
   (VI) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं में कमी होने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण तथा समय पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने पर।
   (VII) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि एवं बागवानी संबंधी दिक्कतों पर।
   (VIII) स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं संबंधी योजनाओं में विभागीय सहयोग नहीं मिलने पर।
   (IX) विद्यालयों में बालिकाओं व शिक्षिकाओं के लिए स्वच्छता संबंधी संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर।
   (X) बुजुर्ग तथा एकल महिलाओं की विभिन्न विभागों से संबंधी समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर।
   (XI) उन सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगी जो महिलाओं एवं बालिकाओं के हितों की दृष्टि से अनिवार्य होंगे।
6. महिला संरक्षण समितियों एवं विभागवार नोडल अधिकारियों की महिलाओं एवं बालिकाओं को सक्षम बनाने की वार्ड स्तर पर अनिवार्य एवं नियमित पहल इस प्रकार है–
   (I) विद्यालयों में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, किशोरावस्था के संबंध में बालिकाओं की काउंसलिंग तथा समस्याओं के निस्तारण के लिए उपाय करना, पौष्टिक आहार के संबंध में जागरूकता, आवश्यक दवाइयों का वितरण और स्वास्थ्य की नियमित जांच।
   (II) विद्यालयों में बालिकाओं को महिलाओं के घरेलू हिंसा से संरक्षण सहित विभिन्न अधिनियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

(III) बालिकाओं को साइबर अपराध सहित विभिन्न अपराधिक गतिविधियों से स्वयं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने के उपायों के प्रति जागरूक बनाना।

(IV) स्थानीय लोगों को जेंडर संबंधी मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(V) मीडिया संस्थानों के सहयोग से महिलाओं के मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन करना। मीडिया संस्थानों एवं मीडिया कर्मियों को महिलाओं से संबंधित समाचारों, लेखों व विचारों को लेकर संवेदनशील बनाने हेतु संगोष्ठियां आयोजित करना।

(VI) वित्तीय साक्षरता एवं बचत संबंधी जागरूकता के लिए बैंकों से समन्वय बनाकर शिविरों का आयोजन करना।

सरकार के प्रति जवाबदेही

1. नोडल अधिकारियों के सहयोग से सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाना।
2. समितियों के स्तर से होने वाली कार्यवाही को नियमित, समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाना। अपने कार्यों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से संबंधित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना।
3. बैठकों का नियमित आयोजन करना तथा सभी कार्यवाहियों को निर्धारित प्रारूप में दर्ज करना।
4. सरकार से आवंटित बजट का शत प्रतिशत सदुपयोग करना।
5. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त करना।

सिविल सोसाइटी तथा निजी क्षेत्रों के प्रति जवाबदेही

1. वार्ड स्तर की महिला संरक्षण समितियां अपने अधिकार क्षेत्र में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुमति अथवा करार के तहत कार्य करने वाली सिविल सोसाइटी, स्वयं सेवी संस्था या गैर सरकारी संस्था को सरकार अथवा विभाग के स्तर से जारी निर्देशों के तहत पूर्ण पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता के साथ सहयोग करेगी।
2. किसी निगम, कंपनी, उद्योग समूह या उपक्रम आदि के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत वित्त पोषित परियोजना, कार्यक्रम या अभियान में सहयोग पाने के उद्देष्य से कार्यदायी संस्था के लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार राज्य स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति करेगी। अनुमति के बाद कार्यदायी संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहीं महिला संरक्षण समितियों का सहयोग प्राप्त कर सकती हैं, परन्तु सहयोग के लिए उनको राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से उन कार्यों एवं सेवाओं का, जिनमें समितियों से सहयोग प्राप्त करना है, के कुल बजट का एक फीसद जमा कराना होगा।
3. महिला संरक्षण समितियों को प्रत्यक्ष रूप से सिविल सोसाइटी, स्वयं सेवी संस्थाओं या गैर सरकारी संगठनों से अपने स्तर से किसी भी करार का अधिकार नहीं होगा।

हितधारकों की जवाबदेही

हितधारकों, जिनमें वे समुदाय भी शामिल हैं जिनके कल्याण के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जानी है तथा सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि की भूमिका तथा इनकी समितियों के प्रति जवाबदेही को भी रेखांकित किया जाना अनिवार्य है। समितियों के कार्यों को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए उनकी निम्नलिखित जवाबदेही होगी–

(1) समुदायों की जवाबदेही

1. महिला संरक्षण समितियों को अपने सहयोगियों के रूप में पहचानें। उनको यह स्वीकार करना चाहिए कि समितियां उनके कल्याण हेतु किए जाने वाले कार्यों के लिए गठित की गई हैं।
2. सूचनाओं के लिए समितियों के साथ समन्वय बनाए रखें तथा सूचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में स्वयंसेवकों की तरह कार्य करें।
3. जागरूकता अभियानों में समितियों एवं विभागों का सहयोग करें।

(2) सरकार की जवाबदेही

1. राज्य सरकार के स्तर से समितियों के लिए यथासमय पर्याप्त बजट की व्यवस्था तथा उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सुरक्षा की गारंटी और विभागों से समन्वय की व्यवस्था।
2. विभागवार नोडल अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि महिला संरक्षण समितियों के साथ अनिवार्य रूप से समन्वय सुनिश्चित करें।
3. विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समितियों व उसके सदस्यों के प्रति जवाबदेही।
4. बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित निर्णयों, योजनाओं एवं नीतियों में समितियों से प्राप्त सुझावों एवं संस्तुतियों को शामिल करना।
5. सरकारी कार्यों में संरक्षण समितियों को सहयोगी इकाइयों के रूप में पहचान प्रदान करना।
6. वार्ड स्तरीय समितियों के लेखा–जोखा तथा प्रगति आख्या को तैयार कराने सहित विभिन्न सहयोग के लिए संबंधित क्षेत्र के केंद्रीयध्राज्य स्तरीय तथा स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों तथा इनसे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओंध्पीएचडी स्कॉलर्स के योगदान की व्यवस्था।

सिविल सोसाइटी तथा निजी क्षेत्रों की जवाबदेही

1. ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में सहयोग के लिए अनुमति के समय संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्माण, कार्यों, सेवाओं एवं वितरित किए जाने वाली सामग्री का विवरण तथा लागत या बजट को अनिवार्य रूप से दर्शाना होगा जिसकी एक प्रतिशत राशि राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से संबंधित महिला संरक्षण समिति के खाते में जमा होगी। यह धनराशि किसी निर्माण कार्य तथा वितरित की जाने वाली सामग्री की लागत पर लागू नहीं होगी। इसमें सिर्फ उन्हीं कार्यों एवं सेवाओं को शामिल किया जाएगा जहां संस्था समितियों का सहयोग प्राप्त कर रही है।

2.सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र या सीएसआर पोषित कार्यदायी संस्थाएं निर्माण सहित विभिन्न कार्यों एवं सेवाओं संबंधित गतिविधियों की सूचना संबंधित महिला संरक्षण समितिध्समितियों को अनिवार्य रूप से देंगे।

3. सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र या सीएसआर पोषित कार्यदायी संस्थाएं महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार–प्रसार में महिला संरक्षण समिति ध समितियों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाएंगे।
4. सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र या सीएसआर पोषित कार्यदायी संस्थाओं को महिला समितियों को अभिन्न सहयोगी के रूप में पहचानना होगा।
5. सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र या सीएसआर पोषित कार्यदायी संस्थाएं बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित गतिविधियों में किसी भी अनियमितता, लापरवाही या कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित महिला संरक्षण के प्रति भी जवाबदेह होंगे। उनको अपनी गतिविधियों को संबंधित समितियों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

जांच, मूल्यांकन एवं प्रोत्साहन

1. यदि किसी सदस्य की भूमिका एवं कार्यों को लेकर संशय होता है या वह किसी जांच अथवा कार्रवाई का सामना करताध्करती है तो उनको समिति की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यह नियम समिति में सम्मिलित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसके उपनियम इस प्रकार हैं–

   (I) यदि किसी महिला या बालिका द्वारा समिति के सदस्यध्सदस्यों के विरुद्ध नियमों का उल्लंघन करने, अधिकारों का दुरुपयोग करने, महिला संरक्षण समिति की गरिमा को धूमिल करने आदि का लिखित एवं शपथपूर्वक आरोप लगाया जाता है तो जिलाधिकारी संबंधित उप जिलाधिकारी जांच के आदेश देंगे। जांच समयबद्ध एवं पारदर्शी होगी। जांच की अवधि अधिकतम एक माह या 30 दिन होगी। समय पर जांच पूरी नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित जांच अधिकारी को जिलाधिकारी की अनुमति से अधिकतम 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

   (II) यदि जांच में समिति के सदस्यध्सदस्यों पर लगाए गए आरोप या शिकायत आधारपूर्ण एवं सत्य पाए जाते हैं तो संबंधित सदस्यध्सदस्यों को समिति से हटाने के आदेश जिलाधिकारीध उप जिलाधिकारी के स्तर से जारी किए जाएंगे। यदि आरोप या शिकायत गंभीर प्रकृति के हैं तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराने का अधिकार संबंधित जिलाधिकारीध्उप जिलाधिकारी को होगा।

(III) यदि जांच में शिकायत या आरोप निराधार पाए जाते हैं तो इस स्थिति में जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी शिकायतकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई या जुर्माना की कार्रवाई करेंगे। जांच आख्या की एक प्रति शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(IV) समिति के सदस्यध्सदस्यों की शिकायत या आरोप संबंधी पत्र पर जांच कराने का अधिकार संबंधित जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी को ही होगा।

2. महिला संरक्षण समितियों को अपराधिक कृत्य अथवा गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य शिकायत पर जांच करने का अधिकार होगा तथा जांच दल में संबंधित विभाग के अधिकारी को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

3. समितियों के कार्यों एवं सेवाओं का मूल्यांकन सर्वे के आधार पर होगा और यह सर्वे समिति द्वारा होगा, न कि किसी सदस्य के द्वारा।

4. समितियों के कार्यों की वार्षिक प्रगति आख्या भी उनके मूल्यांकन का आधार होगी।

5. समितियों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु आयोजित कराए गए कार्यक्रमों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या, उनके द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अभिनव एवं लाभकारी पहल, हितधारकों की संतुष्टियों तथा मीडिया की रिपोर्ट भी मूल्यांकन का आधार होंगी।

6. समयबद्धता, पारदर्शिता एवं जेंडर संवेदनशीलता भी मूल्यांकन का आधार होंगे।

7. राज्य सरकार अपने स्तर से जांच एवं मूल्यांकन के लिए किसी समुचित प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है।

8. प्रत्येक वर्ष राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पांच समितियों का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा।

9. प्रत्येक वर्ष उन महिलाओं एवं बालिकाओं का भी चयन किया जाएगा, जो समितियों के कार्यों में विशेष रूप से सहयोग प्रदान करेंगी। समिति के कार्यों में तीन माह तक योगदान प्रदान करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय, राज्य स्तरीय तथा स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों और इनसे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं अथवा पीएचडी स्कॉलर्स के लिए प्रशस्ति–पत्र की व्यवस्था, जिसके आधार पर राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पांच अंकों के वेटेज प्रदान करने की अनिवार्यता।

10. महिला संरक्षण समितियों के उद्देश्यों तथा उनके कार्यों को विद्यालयी स्तर से ही पाठ्यक्रमों में शामिल करना।

महिला संरक्षण समितियां

संगठनात्मक संरचना

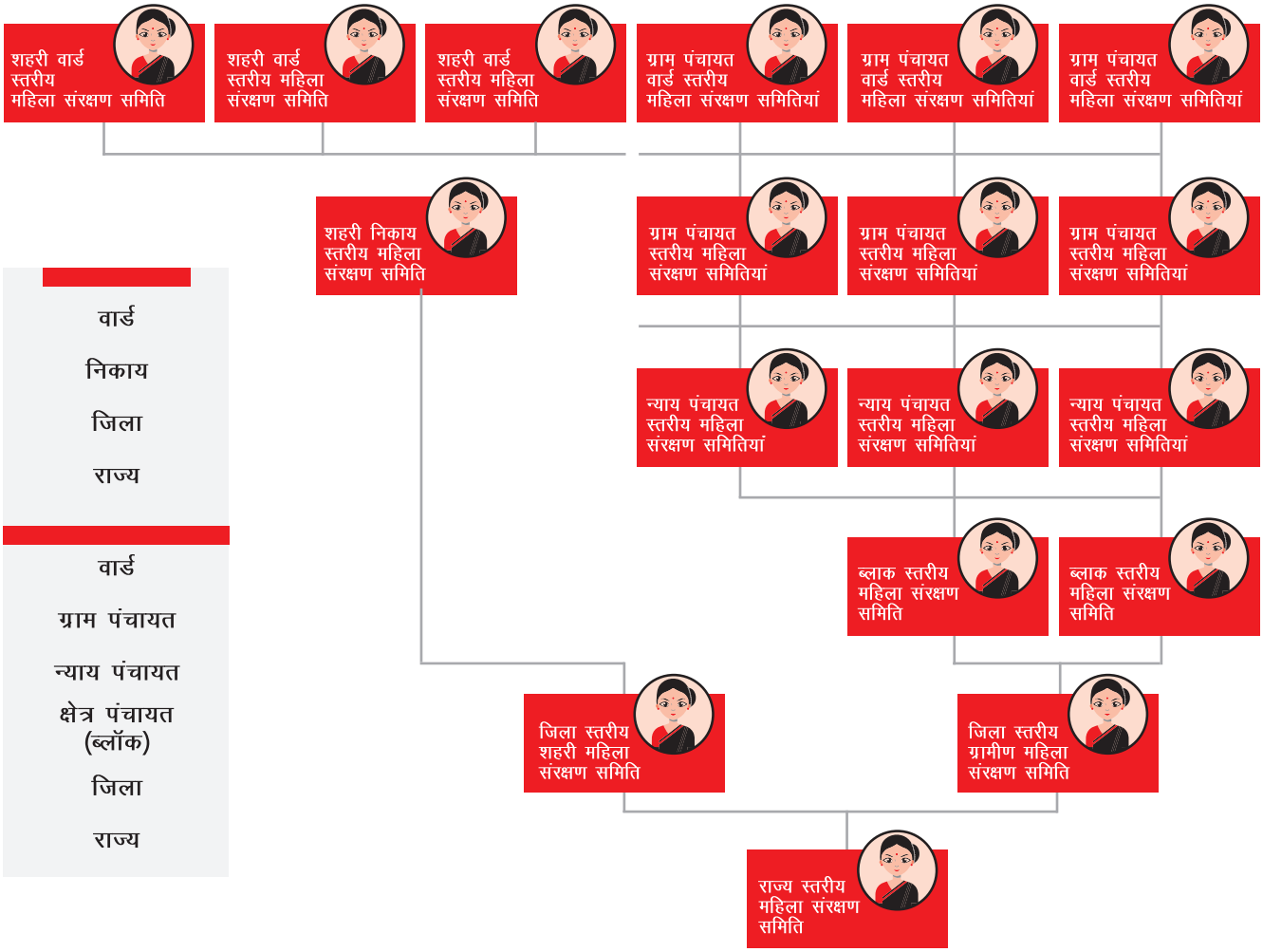

संलग्नक:

सुदृढ़ विलेज होम स्टे योजना से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर

उत्तराखंड में आय के प्रमुख स्रोत पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका से जोड़ने की पहल सरकारी स्तर पर की जा चुकी है। विलेज होम स्टे योजना इनमें से एक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से अनुदान भी प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य, अनुकूल पर्यावरण को देखने व महसूस करने, धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए देश–विदेश से लोग उत्तराखंड आते हैं। पर्वतारोहण के रोमांच के लिए भी बड़ी संख्या में वर्षभर यहां पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है।

धार्मिक एवं पर्यटन महत्व के विश्व प्रसिद्ध स्थलों के पैदल तथा वाहनों वाले मार्गों के किनारे बसे पर्वतीय गांवों में विलेज होम स्टे योजना को पहले से और बेहतर बनाकर आय संवर्धन के प्रमुख संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। इन ग्रामीण स्थलों पर होम स्टे योजना के अंतर्गत घरों में अतिथियों के विश्राम व खानपान की व्यवस्था की जाती है। परन्तु अभी तक कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं हो सका है जिससे पर्यटकों को यह पता चल सके कि जिस मार्ग पर वे यात्रा कर रहे हैं उस मार्ग के निकट किस गांव में तथा किस आवास में उनके विश्राम व खानपान की व्यवस्था हो सकती है! क्या हम कोई ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं जो पर्यटकों को सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से से जोड़ सके और ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सके? इस तंत्र को विकसित करने के लिए निम्न व्यवस्थाओं पर कार्य किया जा सकता है–

1. राज्यभर में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थापित होम स्टे की व्यवस्था वाले भवनों को सूचीबद्ध किया जाए, चाहे वो सरकार की किसी योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया हो या नहीं।
2. पर्यटकों व यात्रियों के होम स्टे वाले भवनों में सुविधाओं, सेवाओं व संसाधनों की निर्धारित मानकों के अंतर्गत निगरानी की जाए। इसके लिए यात्रियों के फीडबैक लेने की व्यवस्था अनिवार्य की जाए।
3. राज्यभर में होम स्टे व्यवस्था का संचालन महिलाओं के अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा संचालित होम स्टे व्यवस्था में राज्य सरकार की ओर से टैक्स में कम से कम दो फीसद की कमी का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
4. राज्य में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होम स्टे व्यवस्था वाले प्रत्येक भवन को फोटोग्राफ के साथ जीपीएस (ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम) से अनिवार्य रूप से टैग किया जाए।
5. उत्तराखंड पर्यटन विभाग तथा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर होम स्टे वाले भवनों की सूची तथा संचालकों के नाम एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं तथा इन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
6. उत्तराखंड राज्य में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले यात्रियों को उनके यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होम स्टे वाले भवनों की सूची तथा संचालकों के नाम व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। इससे इच्छुक यात्री उपलब्ध फोन नंबर पर होम स्टे व्यवस्था की बुकिंग करा सकेंगे।
7. राज्य के यात्रा मार्गों पर स्थित सार्वजनिक स्थानों पर होम स्टे व्यवस्था वाले भवनों की सूची, संचालकों के नाम व मोबाइल नंबर वाली पट्टिकाएं अनिवार्य रूप से लगाई जाएं।
8. होम स्टे व्यवस्था वाले भवनों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित पारंपरिक हस्तकला उत्पादों, कृषि, बागवानी एवं डेयरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादों के विपणन एवं विक्रय का केंद्र बनाया जा सकता है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी।
9. स्वयं सहायता महिला समूहों को भी होम स्टे व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा एकत्रित स्थानीय उत्पादों का विपणन भी होम स्टे व्यवस्था वाले भवनों में हो सकता है। विपणन करने वाले होम स्टे संचालक को उत्पादों की बिक्री पर निर्धारित अंशदान प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
10. सोशल मीडिया माध्यमों से होम स्टे व्यवस्था का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है।
11. होम स्टे व्यवस्था वाले भवनों में राज्य के अन्य पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों तथा स्थानीय निवासियों की आय के संवर्धन के लिए स्थानीय उत्पादों का प्रचार–प्रसार किया जा सकता है।
12. पर्यटन विभाग पंजीकृत टूर एंड ट्रैवल व्यवसायियों के साथ संयुक्त रूप से होम स्टे व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाए।